प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016
के लिए कुछ इनपुट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

1 प्रस्तावना

2 शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां

3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन, मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य

4 नीतिगत ढांचा

4.1 पूर्व विद्यालयी शिक्षा

4.2 बाल और किशोर शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा

4.3 स्कूल शिक्षा में सीखने के परिणाम

4.4 स्कूली शिक्षा

4.5 पाठ्यचर्या नवीकरण और परीक्षा सुधार

4.6 समावेशी शिक्षा और छात्र सहायता

4.7 साक्षरता और जीवनपर्यन्त अध्ययन

4.8 शिक्षा में कौशल और रोजगार योग्यता

4.9 शिक्षा में आईसीटी का उपयोग

4.10 शिक्षक विकास और प्रबंधन

4.11 शिक्षा में भाषा और संस्कृति

4.12 व्यापक शिक्षा के माध्यम से आत्म विकास

4.13 स्कूल आकलन और अभिशासन

4.14 उच्च शिक्षा में अभिशासन सुधार

4.15 उच्च शिक्षा में नियमन

4.16 उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

4.17 मुक्त और दूरस्थ अध्ययन और एमओओसी

4.18 उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

4.19 उच्च शिक्षा में संकाय विकास

4.20 अनुसंधान, नवाचार और नया ज्ञान

4.21 शिक्षा का वित्तपोषण

5. कार्यान्यवन और निगरानी

अध्याय 1

प्रस्तावना

भारत ने हमेशा शिक्षा को उच्च महत्व दिया है। प्राचीन भारत में पहली बार विकसित हुई शिक्षा प्रणाली को वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का परम लक्ष्य ज्ञान नहीं था, क्योंकि इसका लक्ष्य इस संसार या दूसरे संसार में जीवन के लिए तैयारी करना था लेकिन यह कार्य अपने आत्मज्ञान के साथ किया जाता था। गुरुकुल प्रणाली ने गुरु और शिष्य के बीच संबंध को बढ़ावा दिया और इसने एक अध्यापक केंद्रित प्रणाली स्थापित की जिसमें छात्र को कठोर अनुशासन में रहना होता था और अपने शिक्षक के प्रति उसे कुछ दायित्वों के अधीन रहना होता था।

दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय 700 ई.पू. में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, या जिसे उस समय नालंदा महावीर के नाम से जाना जाता था, चौथी शताब्दी में स्थापित किया गया, जो विश्व के पहले महान विश्वविद्यालयों में से एक था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अपने सुनहरे दिनों में, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में विज्ञान, खगोल-विज्ञान, चिकित्सा, और तर्क को उतनी ही गंभीरता से पढ़ाया जाता था जितना ध्यान तत्वमीमांसा, दर्शन, सांख्य, योग-शास्त्र, वेद, और बौद्ध धर्म ग्रंथों तथा विदेशी दर्शन शास्त्र पर दिया करते थे। जातीय और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठते हुए नालंदा विश्वविद्यालय ने चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, फारस, तुर्की और विश्व के अन्य भागों से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया।

चरक और सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और वात्स्यायन जैसे भारतीय विद्वानों तथा अनेक विद्वानों ने गणित, खगोल-विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य-चिकित्सा, ललित कला, यांत्रिक तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला, जहाज निर्माण और नौपरिवहन, खेलकूद जैसे विविध क्षेत्रों में विश्व के ज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी की लड़ाई के दौरान, गोखले, राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी जैसे अनेक नेताओं ने भारत के लोगों के लिए बेहतर शिक्षा की दिशा में काम किया।

शिक्षा में सुधार लाने का मुद्दा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत के विकास के एजेंडे में शीर्ष पर रहा था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षा में भागीदारी तथा पहुंच को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रम को बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक आयोग गठित किए गए थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग)1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग)1952-53), शिक्षा आयोग)1964-1966), और राष्ट्रीय शिक्षक आयोग -। और ।।)1983-1985) इनमें शामिल प्रमुख आयोग हैं।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति)1968) संकल्प द्वारा शिक्षा प्रणाली के आमूलचूल परिवर्तन, सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने तथा शिक्षा और लोगों के जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इस संकल्प में राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने, साझी नागरिकता और संस्कृति की भावना को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित(में शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसका तात्पर्य यह है कि "जाति, पंथ, स्थान या महिला-पुरुष की परवाह किए बिना एक स्तर तक सभी विद्यार्थियों की एक तुलनात्मक गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच हो"।

वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल करके एक आधारभूत बदलाव लाया गया जिसके माध्यम से हमारे देश के संघीय ढांचे के महत्व को पहचाना गया और सामंजस्यपूर्वक तरीके से शैक्षिक लक्ष्यों को हासिल करने में भागीदार के रूप में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को समान सर्वोच्चता प्रदान की गई। किसी भी शिक्षा नीति को समग्रतावादी शिक्षा प्रक्रिया की अंतरक्षेत्रीय और अंतर-मंत्रालयी प्रकृति और राज्यों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व प्रदान करना जरूरी है। इसलिए यह नीति 2013 में अपनाई गई बचपन में देखभाल और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति)ईसीसीई(, राष्ट्रीय युवा नीति)एनवाईपी), 2014 और राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 जैसी अन्य राष्ट्र स्तरीय नीतियों द्वारा निभाये जाने वाली भूमिका को महत्व प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992 के तैयार होने के बाद भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर बदलाव आये हैं। भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास ऐसे चरण से गुजर रहा है जिसमें एक सुदृढ़ और भविष्योन्मुख शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक प्रमुख विकास सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा हासिल करने के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं की स्थापना करना रहा है। भारत के संविधान में संविधान)छियासीवां संशोधन(अधिनियम, 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21क जोड़ा गया था, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उस तरीके से प्रावधान करता है, जिस तरीके से राज्य कानून के माध्यम से इसे निर्धारित करें। बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई, 2009), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क के अंतर्गत परिकल्पित परिणामी विधान प्रस्तुत करता है, उसमें 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान है।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब शैक्षिक गतिविधियां तथा सीखने की प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है और इसलिए शिक्षा जगत केवल औपचारिक स्कूल व्यवस्था अथवा उच्चतर शिक्षा तक सीमित नहीं रही है। शैक्षिक प्रक्रिया अब केवल कक्षा आधारित पाठ्यक्रम आदान-प्रदान से ही संचालित नहीं होती, बल्कि यह कार्य इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया द्वारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों, पुस्तकों और जर्नलों आदि के जरिए भी होता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले के पास आज गैर-सांस्थानिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक समसामायिक ज्ञान तक पहुंच उपलब्ध है।

नए ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग की तीव्र गति, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा लोगों के दैनिक जीवन पर इसके प्रभावों ने ज्ञान के तेजी से बदलते विश्व को विद्यार्थियों से परिचित कराने के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उभरती हुई ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतों को पूरा करने वाले जीवन कौशलों सहित मानव कौशलों के विकास की जरूरत सीखने वाले व्यक्ति द्वारा जीवनपर्यन्त आधार पर ज्ञान और कौशलों को सीखने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देती है ताकि वे बदलती कौशल जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके। शिक्षा के बदलते हुए सामाजिक संदर्भ तथा समता और समावेश के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सभी विद्यार्थियों को अपने ज्ञान अर्जन अनुभव में सफल बनाने के लिए अवसरों को बढ़ाने हेतु और सभी के लिए समतामूलक शैक्षिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के विविध समूहों की ज्ञानार्जन आवश्यकताओं के प्रति सभी शैक्षिक संस्थानों को प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए शिक्षा के प्रति बदले हुए दृष्टिकोण की मांग करती है।

नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग विशेषकर इंटरनेट के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। ये नई प्रौद्योगिकियां लोगों के जीवन जीने, कार्य करने और परस्पर संपर्क करने के तरीकों में बदलाव कर रही हैं। इन नई प्रौद्योगिकियों ने सीखने वालों के लिए सूचनाओं के नए भंडार तथा ज्ञानार्जन के संसाधनों और नए ज्ञानार्जन के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान की है। शिक्षा-व्यवस्था में इन नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाने का कार्य शिक्षा क्षेत्र में एक मुख्य प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में उभरा है।

उपर्युक्त विकास का यह तात्पर्य है कि शिक्षा नीतियों तथा शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को बदलते समय और जरूरतों के साथ ही अवश्य विकसित किया जाना चाहिए। विगत समय में हासिल अनुभवों तथा बदलते राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और सामाजिक आवश्यकताओं के आलोक में उभरी चिंताओं और जरूरतों तथा बच्चों, युवाओं और वयस्कों की बदलती ज्ञानार्जन आवश्यकताओं सहित स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वास्तविकताओं और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लक्ष्यों, संरचना, विषयवस्तु और प्रक्रियाओं को नया रूप प्रदान करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 को भारत में शिक्षा प्रक्रिया को नया रूप प्रदान करने के कार्य को दिशा देने के लिए तैयार किया गया है। वह इस दिशा में एक प्रयास प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 एक ऐसी विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तायुक्त शिक्षा और जीवनपर्यन्त ज्ञानार्जन अवसरों को सुनिश्चित करने तथा उत्पादक जीवन जीने, देश की विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदारी करने, तेजी से बदलते, हर पल वैश्वीकृत होते, ज्ञान आधारित समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों और मूल्यों का धारण करने वाले विद्यार्थियों/स्नातकों को तैयार करने और भारत की विरासत की विविधता को स्वीकार करने वाली भारतीय परम्परा, संस्कृति और इतिहास का सम्मान करने वाले जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करने और सामाजिक समरसता तथा धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देने में सक्षम हो। यह दृष्टिकोण भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में शिक्षा के केन्द्रीय महत्व को मान्यता प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि *"मुख्य कठिनाई यह है कि लोगों को यह पता ही नहीं कि सच्चे अर्थों में शिक्षा क्या है। हम ठीक उसी तरीके से शिक्षा का मूल्य निर्धारित करते हैं, जिस प्रकार हम भूमि का मूल्य या फिर वस्तु विनिमय बाजार में शेयरों का मूल्य निर्धारित करते हैं। हम केवल ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कमाने में सक्षम बनाए। हम कभी भी शिक्षा प्राप्त करने वाले के चरित्र में सुधार लाने के बारे में सोचते ही नहीं।"* राष्ट्रपिता के विचारों से प्रेरित होकर, यह नीति मूल्यों की शिक्षा देने, नागरिकों में कौशल क्षमता प्रदान करने तथा राष्ट्र की भलाई के लिए योगदान देने में उन्हें समर्थ बनाने में शिक्षा की भूमिका को मुख्य स्थान प्रदान करती है। यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्र की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति और विकास शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले लोगों की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है तथा यह मानती है कि गुणवत्ता और समता के धरातल पर खड़ी शिक्षा व्यवस्था सतत विकास एवं उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज में सफलता हासिल करने का मुख्य आधार है। यह नीति सामाजिक आर्थिक सक्रियता के लिए सबसे कारगर औजार के रूप में और समतामूलक न्याय आधारित मानव समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शिक्षा को मान्यता प्रदान करती है। यह नीति समाज में एकीकरण शक्ति के रूप में भी शिक्षा को देखती है तथा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा देने वाले मूल्यों की शिक्षा देने में भी इसकी भूमिका को स्वीकार करती है। इस दृष्टिकोण का यह भी तात्पर्य है कि उच्च गुणवत्ता शिक्षा वैश्वीकरण को स्थानीयकरण में एकीकृत करने, भारत के बच्चों और युवाओं को ऐसे वैश्विक नागरिक बनने में सहायता प्रदान करेगी जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति और परम्पराओं में गहराई से समाई हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 आने वाले कुछ वर्षों के लिए भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीति शिक्षा संबंधी पूर्व राष्ट्रीय नीतियों में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित अधूरे कार्यों एवं मौजूदा तथा उभरते राष्ट्रीय विकास और शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों दोनों पर ध्यान देने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय विकास में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के

महत्व को स्वीकारते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने पर अभूतपूर्व ध्यान देती है और यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध हों।

श्री अरबिन्दो के शब्दों में कहें तो, *"भारतीय लोगों में यह अडिग विश्वास होना चाहिए कि भारत का उत्थान अवश्य होगा और यह महान बनेगा तथा हर वो चीज जो घटित हो चुकी है प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति अवश्य ही इसे आगे बढ़ाने में मददगार होगी। यह रात ढलेगी और क्षितिज पर सूर्य उदय होगा। भारत के भाग्य के सूर्य का उदय होगा और यह अपने प्रकाश से समस्त भारत को प्रकाशवान करेगा और इससे भारत प्रकाशवान होगा और एशिया प्रकाशवान होगा तथा संपूर्ण विश्व प्रकाशवान होगा।"* शेष बची 21वीं सदी भारत की होगी।

अध्याय 2

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां

शिक्षा संबंधी पूर्व की नीतियों में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; तथापि, इनमें से अधिकांश को पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सका है। यद्यपि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पहुंच को बढ़ाने और भागीदारी की दृष्टि से भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है फिर भी देश में शिक्षा के विकास की संपूर्ण स्थिति मिली-जुली रही है और इसमें *शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी, प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में समता, व्यवस्थागत कार्यकुशलता, प्रशासन एवं प्रबंधन, अनुसंधान और विकास तथा शिक्षा विकास के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध में बहुत-सी स्थायी चिंताएं और चुनौतियां मौजूद हैं।*

पहुंच और भागीदारी

विश्व भर में हुए शोध कार्यों से आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व का पता चलता है। तथापि, पूर्व विद्यालय शिक्षा में भागीदारी निम्न स्तर पर है। औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को बेहतर रूप से तैयार करने हेतु सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना एक उच्च प्राथमिकता कार्य के रूप में उभरा है।

राष्ट्र स्तर पर वर्ष 2000 से 6 से 13 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। तथापि, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अभी भी ज्यादा है। प्राथमिक शिक्षा की तुलना में उच्चतर प्रा थमिक और माध्यमिक शिक्षा में अपेक्षाकृत घटा हुआ नामांकन भी एक चिंता का विषय है। सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के लिए बुनियादी से माध्यमिक स्तर में विद्यार्थियों के आगे बढ़ने को सुनिश्चित करना और माध्यमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक तथा तृतीयक स्तर शिक्षा तक आगे बढ़ना अभी तक चुनौती बना हुआ है।

विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भारत दूसरे स्थान पर है। यद्यपि भारतीय उच्च शिक्षा पहले ही मैसिफिकेशन के चरण में प्रवेश कर गई है, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर वर्ष 2014-15 में 23.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही। वर्ष 2017-18 तक जीईआर को 25.2 प्रतिशत तक बढ़ाने का मौजूदा लक्ष्य है और बाद में इसे वर्ष 2020-21 तक 30 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है।

अशिक्षित लोगों की संख्या को घटाने में हुई अपेक्षाकृत कम प्रगति भी चिंता का विषय बनी हुई है। भारत में अशिक्षित लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। वर्ष 2011 में 7 वर्ष से अधिक की अशिक्षित जनसंख्या की कुल संख्या 282.6 मिलियन थी। विश्व में युवाओं और प्रौढ़ अशिक्षित लोगों की सबसे अधिक संख्या भी भारत में ही है। भारत में वर्ष 2011 में युवा साक्षरता दर (15-24

वर्ष(और प्रौढ़ साक्षरता दर (15 वर्ष और इससे अधिक(का प्रतिशत क्रमश: 86.1 प्रतिशत और 69.3 प्रतिशत रहा।

गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

शिक्षा की खराब गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है जिससे असंतोषजनक ज्ञानार्जन परिणाम सामने आते हैं। अपर्याप्त पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी और अप्रभावी शिक्षण पद्धतियां जैसी गुणवत्ता संबंधी कमियां पूर्व स्कूल शिक्षा से संबंधित एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। पूर्व स्कूल शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों का एक बड़ा भाग प्राथमिक स्कूल में दाखिले लेने के समय तक संज्ञानात्मक और भाषा के क्षेत्र में विद्यालय जाने की क्षमता नहीं रखता है। अधिकांश पूर्व विद्यालय शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित/तैयार नहीं होते। अधिकांश मामलों में पूर्व विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अधोमुखी विस्तार ही होता है।

विद्यालयी शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों के सीखने के अंसतोषजनक स्तर से संबंधित है। श्रेणी III, V, VIII और X को शामिल करते हुए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण)एनएएसी(के निष्कर्ष यह बताते हैं कि विद्यार्थियों के एक बड़े भाग का सीखने का स्तर अपेक्षित सीखने के स्तर के बराबर नहीं है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर सीखने की खराब गुणवत्ता माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। माध्यमिक स्तर पर सीखने की खराब गुणवत्ता कॉलेज/विश्वविद्यालय के वर्षों तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में घटिया सीखने के परिणाम सामने आते हैं।

विद्यालयी शिक्षा की असंतोषजनक गुणवत्ता के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : ऐसे विद्यालयों का बड़ी संख्या में मौजूद होना जो विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों और मानदंडों पर खरे नहीं उतरते; विद्यार्थियों और अध्यापकों की अनुपस्थिति; अध्यापकों के अभिप्रेरणा स्तर और प्रशिक्षण में गंभीर अभाव जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक गुणवत्ता और प्रदर्शन में कमी आना; शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में धीमी प्रगति; कार्मिक प्रबंधन का ईष्टतम उपयोग नहीं होना, निगरानी और कार्य निष्पादन की देखरेख पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाना आदि। गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में सरकारी तंत्र के स्कूलों की स्पष्ट असफलता ने बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के इस क्षेत्र में प्रवेश को बढ़ाया है। इनमें से बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी अवसंरचना, सीखने के परिवेश और सक्षम अध्यापकों का अभाव है।

अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है। उच्चतर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में भारत में वर्ष 1994 में प्रत्यायन एजेंसियों को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद)एनएएएल(द्वारा प्रत्यायित 140 विश्वविद्यालयों में से केवल 32 प्रतिशत को 'ए' श्रेणी का दर्जा दिया गया है। एनएएसी द्वारा प्रत्यायित 2,780 कॉलेजों में से 9 प्रतिशत कॉलेजों को

'ए' श्रेणी का दर्जा दिया गया है। प्रत्यायित संस्थानों में से 68 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और 91 प्रतिशत कॉलेजों को एनएएसी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों की दृष्टि से औसत अथवा औसत से कम आंका गया है। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का कुकुरमुत्ते की तरह तेजी से प्रसार हुआ है, जिनमें से अधिकांश संस्थान निम्न गुणवत्ता वाले हैं। रिक्त पड़े संकाय पदों की वजह से सुयोग्य संकाय सदस्यों की कमी; बहुत से निजी तथा काफी संख्या में सार्वजनिक उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में खराब बुनियादी अवसंरचना; विविधतायुक्त अर्थव्यवस्था में मांग किए गए कौशलों के साथ पाठ्यचर्या को जोड़ने के लिए उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या के नवीनीकरण की धीमी प्रगति; और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण की वजह से उच्चतर शिक्षा उप-क्षेत्र कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

कौशल और नियोजनीयता

भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है जिसकी कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों का है। यह तथ्य इस बात को जरूरी बनाता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे देश का युवा कौशल और ज्ञान से सुसज्जित हो ताकि वह देश के कार्यबल में शामिल हो सके। तथापि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को सहायता पहुंचाने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था अभी भी अपर्याप्त है। व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशलों के विकास को औपचारिक रूप से जोड़ने और विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज अग्रसरण के लिए अवसरों के साथ व्यावसायिक कार्य निष्पादनों हेतु अकादमिक समतुल्यता लाने के प्रयास हाल ही में शुरू किए गए हैं। उच्च गुणवत्ता व्यावसायिक स्वीकार्यता लाने पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले अधिकांश लोगों में रोजगार योग्य कौशलों का अभाव पाया जाता है। इससे हमारी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनियता में बहुत कमी आई है। रोजगार सुनिश्चित करने में हमारी उच्चतर शिक्षा की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले लोगों की रोजगार पाने की क्षमता को बढ़ाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पाठ्यचर्या और मूल्यांकन

यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि मौजूदा विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या और तेजी से बदल रहे विश्व में बेहतर रोजगार और जीवन के लिए आवश्यक प्रासंगिक कौशलों को सीखने को बढ़ावा देने के लिए जरूरी पाठ्यचर्या के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के बीच गंभीर रूप से तालमेल का अभाव है। रोजगार और उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल सहित प्रासंगिक कौशलों को सीखने; सीखने वाले व्यक्ति को और अधिक सृजनात्मक एवं नवोन्मेषी बनाने,

विश्लेषणात्मक रूप से सोचने, प्रभावी रूप से संपर्क करने, स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने का मौका देने वाले कौशलों और क्षमताओं; तथा व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारने तथा सदभावपूर्वक एक साथ मिलकर कार्य करने और रहने में समर्थ बनाने वाले जीवन कौशलों के अवसरों को बढ़ाना इस संदर्भ में एक मुख्य चुनौती है। विद्यालयों तथा कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में समग्र रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया असंतोषजनक है। अधिकांश मामलों में सीखने की उपलब्धि की मूल्यांकन पद्धति रहने और छात्रों द्वारा विषयवस्तु के ज्ञान को दोबारा प्रस्तुत कर देने पर जोर देना जारी रखे हुए हैं। संपूर्ण मूल्यांकन पद्धति को नया स्वरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यालयी एवं सह-विद्यालयी दोनों क्षेत्रों से संबंधित सीखने के परिणामों सहित विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)आईसीटी(

सूचना और प्रचार प्रौद्योगिकियों)आईसीटी(ने विगत कुछ दशकों में बहुत तेजी से प्रगति की है। देश में बहुत-से कार्य किए गए हैं और शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संबंध में एक व्यापक ज्ञान भंडार भी संचित किया गया है। तथापि, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका है। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग अभी भी सीमित है और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी के उपयोग के प्रयासों में तेजी लाए जाने की जरूरत है।

अध्यापक विकास और प्रबंधन

अध्यापक की गुणवत्ता और कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किए गए निरन्तर प्रयासों के बावजूद विद्यालयी अध्यापकों की शुरुआती व्यावसायिक तैयारी और सतत व्यावसायिक विकास की प्रणाली को बहुत सी कमियों वाली प्रणाली माना जाता है। अध्यापकों से अपेक्षित नए दायित्वों और भूमिकाओं को निभाने के लिए जरूरी क्षमताओं से उन्हें सुसज्जित करने तथा विविधतायुक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकीय वातारण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में उन्हें समर्थ बनाने की दृष्टि से मौजूदा अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपर्याप्त माना जाता है। सांस्थानिक क्षमता और अध्यापकों की आवश्यक संख्या के बीच एक असंगतता विद्यमान है, जिसके कारण अध्यापकों का अभाव है। यह समस्या देश के पूर्वी भाग में ज्यादा गंभीर है, जहां अप्रशिक्षित अध्यापकों का एक बड़ा बैकलॉग मौजूद है। इन राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की क्षमता भी बहुत सीमित है। अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान, प्रयोग और नवोन्मेष कार्य भी बहुत सीमित हुए हैं। इन अभावों के कारण अध्यापकों की व्यावसायिक पहचान तथा पेशे के रूप में अध्यापन के दर्जे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए

अध्यापक की क्षमता, अभिप्रेरणा और उत्तरदायित्वों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

साम्यता मुद्दे

यद्यपि स्कूल पूर्व शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के संबंध में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गई है परन्तु सुविधाहीन जनसंख्या समूह के बच्चे अभी-भी स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। आर्थिक रूप से लाभवंचित समूह के बच्चों को प्राथमिक पूर्व शिक्षा हासिल करने का कम अवसर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है।

उल्लेखनिय प्रगति के बावजूद, कुछ राज्यों में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा के लिए मांग में वृद्धि और माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी देश भर में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में विषमता है। क्षेत्रीय असमानता जारी रहने के साथ-साथ छात्रों की आर्थिक-सामाजिक पृष्ठिभूमि के आधार पर शिक्षा की सुलभता में भी अंतर है।

यद्यपि वर्ष 2000 से स्कूल बाह्य बच्चों)ओओएससी(की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है फिर भी कुछ राज्यों में स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या और अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। ओओएससी का अनुपात अनुसूचित जाति के बच्चों, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और मुस्लिम बच्चों के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। यह दर्शाता है कि इन बच्चों पर अधिक से अधिक और विशेष रूप से ध्यान देने की अवश्यकता है।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात)जीईआर(में क्षेत्रीय असमानताएं अधिक हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च शिक्षा में जीईआर झारखंड में 8.4 प्रतिशत और चंड़ीगढ में 53 प्रतिशत के बीच रही है। इसी प्रकार, सामाजिक समूहों में भिन्नताएं भी विचारणीय हैं और वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 23.6 प्रतिशत)लड़कों के लिए 24.5 प्रतिशत, बालिकाओं के लिए 22.7 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 18.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 13.3 प्रतिशत(से कम है। भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र पेश आ रही चुनौतियों में से एक चुनौती, साम्यता सोच विचार के साथ विस्तार संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना शामिल है।

अधिकांश राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा में लाभवंचित जनसंख्या समूहों के नामांकन और धारणीयता को सुविधाजनक बनाने के लिए समावेशी कार्यनीतियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन प्रयासों के बावजूद, जनसंख्या के कुछ वर्गों के बच्चे अर्थात दिव्यांग बच्चे, दूरस्थ स्थानों में रहने वाले बच्चे, खानाबदोश परिवारों के बच्चे, प्रवासी बच्चे और अन्य असुरक्षित / लाभवंचित समूहों के बच्चे शिक्षा के अवसरों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं। शहरी गरीब बच्चे, बच्चों के ऐसे अन्य समूह में शामिल हैं जिनकी शिक्षा में भागीदारी कम है। जनसंख्या के सबसे अधिक अभावग्रस्त वर्ग

के लिए शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना, सब के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों के संदर्भ में मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है।

राष्ट्रीय शिक्षण उपलब्धि सर्वेक्षणों के निष्कर्ष, राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के बीच छात्रों के औसत उपलब्धि स्तरों में पर्याप्त भिन्नताओं को दर्शाते हैं। ये यह भी इंगित करते हैं कि शहरी छात्र ग्रामीण छात्रों की तुलना में पर्याप्त रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं; निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र सरकारी स्कूलों की तुलना में मामूली रूप से बेहतर प्रदर्शन किए हैं; सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के छात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। ये निष्कर्ष 'शिक्षण में साम्यता' संबंधी लक्ष्य के प्रति गंभीर चुनौती की ओर संकेत करते हैं। समाज के ऐतिहासिक रूप से लाभवंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे और प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले बच्चे पर्याप्त रूप से कम सीखने के परिणाम को दर्शाते हैं।

दिव्यांग बच्चे और विशेष जरूरतमंद बच्चे, बाह्य स्कूल के बच्चों महत्वूर्ण अनुपात में शामिल हैं। यह स्थिति दिव्यांग बच्चे, जो सामाजिक और शैक्षणिक, दोनों से सुविधा वंचित हैं की चुनौतीपूर्ण जरूरतों के समाधान के लिए स्कूलों को सुविधासंपन्न बनाने की आवश्यकता का उल्लेख करती है।

यद्यपि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर छात्रों के सभी श्रेणियों के मामले में एक चिंता का विषय है, फिर भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लाभवंचित समूहों, विशेष रूप से इन समूहों में बालिकाओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभवंचित समुदायों के बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में सुधार के लिए उपायों को शुरू करने संबंधी आवश्यकता को उजागर करता है।

अधिकांश राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लेकर शिक्षा के माध्यम से महिला-पुरूष असमानताओं को कम करने के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति की है, इनमें से अधिकांश ने शिक्षा के विशेषकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर महिला-पुरूष समानता को या तो प्राप्त कर लिया है अथवा इससे बेहतर परिणाम दिया है। तथापि, उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यापक असमानताएं मौजूद हैं। अनेक बालिकाओं को स्कूलों में नहीं भेजा जाता है; और अनेक ऐसी बालिकाएं जो माध्यमिक शिक्षा तो पूरी कर लेती हैं, परन्तु वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और कॉलेजों में अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पाती हैं। स्कूल में विशेषकर माध्यमिक स्तर पर अनेक अवरोध होते हैं, जो बालिकाओं के पर्याप्त अनुपात को उनकी शिक्षा जारी रखने से रोकता है। ऐसे प्रयास जिन्हें अभी महिला-पुरूष और सामाजिक श्रेणी अंतरालों को भरने के लिए किए जा रहे हैं, इनमें तेजी लाने की आवश्यकता है और अधिक सकेन्द्रित कार्य नीतियों को तैयार करने की जरूरत है, ताकि बालिकाओं और अन्य विशेष श्रेणी के बच्चों के प्रभावी समावेश और सहभागिता को सुविधाजनक बनाया जा सके।

युवा और प्रौढ़ साक्षरता दरों में अपेक्षाकृत उच्चतम महिला-पुरूष अंतराल एक प्रमुख चुनौती है। भारत में युवा साक्षरता दर में महिला-पुरुष का अंतर (8.2 प्रतिशत बिन्दु(उच्चतर स्तर पर है, यहां वर्ष 2011 में महिला और पुरुष जनसंख्या (15-24 वर्ष की आयु(के लिए युवा साक्षरता दर क्रमश: 90 प्रतिशत और 81.8 प्रतिशत थी। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां प्रौढ़ शिक्षा में महिला-पुरुष अंतर (19.5 प्रतिशत बिन्दु(के उच्चतर स्तर पर है, यहां वर्ष 2011 में महिला और पुरुष जनसंख्या)15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु(के लिए प्रौढ़ साक्षरता की दर क्रमश: 78.8 प्रतिशत और 59.3 प्रतिशत थी। यह स्पष्ट है कि बालिकाओं और महिलाओं में साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रणाली क्षमता

यद्यपि शिक्षा के प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दरों में कमी हो रही है, फिर भी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले अधिकतर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। वर्ष 2014-15 में प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण दर 83.7 प्रतिशत थी और प्रारंभिक स्तर पर यह 67.4 प्रतिशत से भी कम थी। यह दर्शाता है कि ग्रेड I में दाखिला लिए प्रत्येक 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चे ग्रेड VIII पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। माध्यमिक शिक्षा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर, विशेषकर सीखने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभवंचित समूह के बच्चों में अधिक है। यद्यपि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर छात्रों के सभी श्रेणियों के मामले में एक चिंता का विषय है, फिर भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लाभवंचित समूहों, विशेष रूप से इन समूहों में बालिकाओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभवंचित समुदायों के बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में सुधार के लिए उपायों को शुरू करने संबंधी आवश्यकता को उजागर करता है। सभी दाखिला लिए हुए छात्रों द्वारा प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने का कार्य सुनिश्चित करना, सबसे अधिक प्राथमिकता वाले कार्य में शामिल है।

अभिशासन और प्रबंधन

अनेक अध्ययनों में शिक्षा शासन संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें शिक्षकों की कमी, स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में देर से धनराशि का पहुंचना और प्रशासनिक क्षमताओं के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन से संबंधित क्षमता अवरोध एक मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, नियोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति असंगत है। शिक्षा प्रणाली और संस्थाओं में विशेषकर तृतीयक शिक्षा के स्तर पर शासन और प्रबंधन का मामला प्रदायकों, कार्यक्रमों और वित्त पोषण के तरीकों की बहुलता के आगमन के साथ ही जटिलता आ गई है। यद्यपि यह सच है कि कुछ राज्यों ने प्रोत्साहक प्रयासों और नवाचारी प्रबंधन को प्रदर्शित किया है, फिर भी देश में समग्र स्थिति मिली-

जुली है। प्रणाली के साथ-साथ सांस्थानिक स्तर पर शासन प्रणाली और प्रबंधन नीतियों के संबंध में पुनर्विचार करने का कार्य अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गया है।

स्कूल और उच्चतर शिक्षा के उप-क्षेत्रों में घोर वाणिज्यीकरण मौजूद है, जैसा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए लगाए गए शुल्कों द्वारा परिलक्षित होता है। अवमानक शिक्षण संस्थाओं की भरमार से शिक्षा प्रणाली की साख में कमी आई है।

अनुसंधान एवं विकास

भारत के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास धीमा है। वर्तमान संकाय सदस्यों के कौशल को बढ़ाने; अध्यापन और अनुसंधान के बीच सहक्रिया बनाने ताकि दोनों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जा सके; अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व भर की संस्थाओं और संकायों के साथ अधिक गंभीरता से कार्य करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थाओं और उनके संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित तथा सहायता प्रदान करते हुए अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए; अनुसंधान के लिए संबंधों को सृजित करने और सुविधाजनक बनाने तथा ज्ञान विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग जगत के साथ विश्वविद्यालय के विभागों को संबद्ध करने के क्षेत्रों में केवल सीमित प्रयास किए गए हैं।

बजटीय बाधाएं

शिक्षा के क्षेत्र में अपर्याप्त वित्त पोषण, शिक्षा की सुलभता को बढ़ाने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रयासों में बाधा रही है। अनेक अध्ययनों में शिक्षा शासन प्रणाली संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है जिसे स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में देर से धनराशि पहुंचने के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया है। पहले की शिक्षा नीतियों में शिक्षा पर न्यूनतम व्यय के रूप में जीडीपी के 6 प्रतिशत के मानक का समर्थन किया गया था। तथापि, इस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं किया गया है। स्कूल, उच्चतर और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ाने तथा शिक्षा में गुणवत्ता का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए तैयार किए गए कुछ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को पूरा करने में निधियों की कमी एक मुख्य बाधा रही है। समय से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में व्यापक और सतत रूप से विफलता भी रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त संसाधनों का अपेक्षाकृत अधिकतम उपयोग नहीं हो पाया है।

वैश्विक प्रतिबद्धता

एजेंडा 2030 के भीतर वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी. 4) में 'सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यन्त सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करने' का प्रयास किया गया है। वर्ष 2000 में शुरू की गई ईएफए के एजेंडे, विशेषकर युवा और प्रौढ़

साक्षर, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की कम सुलभता, कौशल विकास हेतु अपर्याप्त अवसरों तथा शिक्षा की असंतोषजनक गुणवत्ता एवं छात्रों के सीखने के स्तरों से संबंधित एजेंडे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। अत: यह नई शिक्षा नीति, पूरी नहीं की गई ईएफए के एजेंडे और एसडीजी 4 से संबंधित लक्ष्यों, दोनों को और आगे बढ़ाएगी।

शिक्षा क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां, नवीन दृष्टिकोणों को अपनाने और सतत प्रयासों की आवश्यकता की मांग करती हैं ताकि सुलभता और साम्यता पर बिना किसी समझौते के सामान्य रूप से शिक्षा के विकास को और विशेषकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्य उद्देश्य में भारत में शिक्षा की वृद्धि के लिए विभिन्न चुनौतियों के निराकरण के लिए प्रभावकारी कार्य नीतियों को तैयार करना और देश की 'जनसंख्या संबंधी लाभांश' की क्षमता को प्राप्त करना शामिल होगा।

अध्याय- 3

विज़न, मिशन, लक्ष्य एवं उद्देश्य

विज़न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति)एनईपी(, 2016 एक ऐसी विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शनकारी शिक्षा प्रणाली पर विचार करती है जो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तायुक्त शिक्षा व सीखने के जीवनपर्यन्त अवसर सुनिश्चित करें तथा ऐसे छात्र/स्नातक तैयार करें जो उन ज्ञान, दक्षताओं, भावों और मूल्यों से लैस हों जो तेजी से बदल रहे वैश्वीकरण, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित हैं।

मिशन

- सभी बालक, युवा व प्रौढ़- के लिए न्यायसंगत, समावेशी गुणवत्तायुक्त शिक्षा और सीखने के जीवनपर्यन्त अवसर का सुनिश्चय तथा साम्यता व उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र की मानवीय अंत:शक्ति की उपलब्धि को प्रोत्साहन देना।
- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के मन में भारत की समृद्ध विरासत, गौरवमयी अतीत, महान परम्पराओं और भिन्न संस्कृति के प्रति जागरुकता उत्पन्न करते हैं तथा मूल्यों के उन सभी स्तरों पर शिक्षुओं के ज्ञानार्जन को प्रोत्साहन जो जिम्मेदार नागरिकता, शांति, सहनशीलता, धर्मनिरपेक्षतावाद, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक-साहचर्य और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के साथ-साथ सार्विक मूल्यों को बढ़ावा दें जो वैश्विक नागरिकता बढ़ाने तथा निरंतर विकास में मदद करें।
- पाठ्यचर्या, अधिगम सामग्रियों, शिक्षाशास्त्रीय क्रिया-विधियों, अधिगम-मूल्यांकन, शिक्षक-गुणवत्ता व कार्य-प्रदर्शन से जुड़े सुधारों पर ठोस ध्यान देने के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रोत्साहन तथा सभी छात्रों को शिक्षा के सभी स्तरों पर विशिष्ट अधिगम परिणाम)ज्ञान, कौशल, आचार-व्यवहार व मूल्य(प्राप्त करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से संस्थागत नेतृत्व और प्रबंधन जो देश की विकास क्रियाविधि और उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहभागिता के लिए सफल जीवन जीना अपेक्षित है।
- कार्य और उद्यमशीलता के साथ-साथ दक्षताओं और क्षमताओं के लिए तकनीकी व व्यावसायिक कौशलों, जो रटन्त से सीखने की विधि का स्थान लें और उन्हें अधिक रचनात्मक और नवाचारी होने, विवेचनात्मक दृष्टि से सोचने, प्रभावी ढंग से सम्प्रेषण करने, स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान करने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में योगदान करने योग्य होने सहित संबंधित कौशलों के शिक्षुओं को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन।

लक्ष्य और उद्देश्य

कुल मिलाकर लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को प्रोत्साहन तथा भारत की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाना, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सफल छात्रों की नियोजनीयता में सुधार, प्रारंभिक बाल्यकाल से तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना जिसमें तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण)टीवीईटी(के साथ-साथ जीवनपर्यन्त सीखने के अवसर शामिल हैं, को प्रोत्साहित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी क्षेत्रों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध हैं।

विज़न और मिशन पूरा करने के लिए शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- सुविधा वंचित वर्गों से संबंधित बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रारंभिक शिक्षा में सुगमता से शामिल होने के लिए 4 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के सभी पूर्व स्कूली बच्चों के लिए आवश्यक अधिगम और विकासात्मक तैयारी स्तर को हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती बाल्यावस्था शिक्षा सेवाओं का विस्तार करना।
- सार्वभौमिक बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा का स्तर हासिल करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में पहुंच सुलभ हो और सभी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रेजुएटों को उच्चतर शिक्षा में न्यायसम्मत पहुंच उपलब्ध हो तथा सभी नामांकित विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने में सफल हों, उसमें सहायता करना और वे अपेक्षित ज्ञानार्जन स्तरों को प्राप्त कर सकें।
- यह सुनिश्चित करना कि सुविधा वंचित वर्गों के छात्रों, विशेषकर खास ध्यान दिए जाने वाले बच्चों, किशोरों और युवाओं तथा विभिन्न तरह की विकलांगता वाले छात्रों पर विशेष ध्यान के साथ बच्चों और युवाओं के विविध समूहों की आवश्यकताओं के प्रति सभी कार्यक्रम सुलभ, समावेशी और प्रतिक्रियाशील हों तथा यह भी सुनिश्चित करना कि सभी नामांकित विद्यार्थियों को अपेक्षित ज्ञानार्जन स्तरों को हासिल करने में सहायता की जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा में सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक भेदभाव समाप्त हो और शिक्षा व्यवस्था के जरिए लैंगिक समानता और बालिका एवं महिला सशक्तिकरणी को बढ़ावा मिले।
- रोजगारयोग्यता, कार्य और उद्यमिता और कार्य के सदैव बदलते हुए माहौल में अनुकूल होने के लिए अपेक्षित तकनीकी एवं व्यवसायिक कौशल सहित कौशल विकास के लिए अवसर बढ़ाना और जीवन और कार्य के लिए कौशल एवं दक्षताओं का युवाओं और वयस्कों द्वारा अर्जन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सहित औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले युवाओं (15-24) वर्ष और वयस्कों (15 वर्ष और

इससे ऊपर(को रोजगार योग्यता के लिए कौशल प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित तृतीयक शिक्षा की साम्य सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, उच्च शिक्षा के प्रति सुलभता में समूह असमानता को कम करना और अध्यापन एवं अनुसंधान में सुधार करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में नए ज्ञान का सृजन करना और विशिष्ट शिक्षण परिणामों एवं रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करने के लिए सभी दाखिला लिए छात्रों को सक्षम बनाना।
- शिक्षा में, विशेषकर शिक्षा पहुंच में सुधार, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि, अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना एवं प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का समेकन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सतत अध्यापक व्यावसायिक विकास सहित अध्यापक विकास एवं प्रबंधन प्रणालियों में सुधार किया जाता है ताकि उन अर्हताप्राप्त एवं सक्षम अध्यापकों, जिनके पास निर्धारित क्षमता प्रोफाइल और अध्यापकों के लिए निर्धारित व्यावसायिक मानक हैं, की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा एवं महिला और पुरूष दोनों सहित कम से कम 90 प्रतिशत प्रौढ़-प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित साक्षरता एवं गणना कौशल पाप्त हों;
- शिक्षा आयोजना, अभिशासन एवं प्रबंधन की प्रतिक्रियाशील सहभागितात्मक और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर शिक्षा क्षेत्र की आयोजना एवं प्रबंधन के लिए शैक्षिक आयोजना एवं प्रबंधन क्रियात्मक अवसंरचना में सुधार होता है और उन्हें बढ़ते हुए शिक्षा क्षेत्र की मांगों के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाता है।
- सांस्थानिक नेतृत्व क्षमता का व्यावसायिकरण करना एवं उसे बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और सांस्थानिक स्तरों पर शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व में सुधार हो जिससे बढ़ते हुए शिक्षा क्षेत्र की उभरती शैक्षणिक प्राथमिकताओं और मांगों के प्रति प्रत्युत्तर मिल सके।
- शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों के लिए बढ़े हुए एवं सु-लक्षित वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित करना।

भावी शिक्षा कार्यसूची का निर्देशन जीवनपर्यन्त एवं क्षेत्रव्यापी संभावनाओं में एक सुदृढ़ सहारा है। इस नीति में प्रशिक्षुओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ प्रणालियों सहित औपचारिक एवं अनौपचारिक

अधिगम संसाधनों के माध्यम से अर्जित अधिगम परिणामों की मान्यता एवं प्रमाणन को सुनिश्चित करते हुए कार्य जगत के लिए अपेक्षित कौशलों से संबंधित और प्रशिक्षुओं की पसंद एवं उनकी क्षमता के अनुसार अधिगम के विभिन्न मार्ग उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा क्षेत्र को व्यापक बनाने पर विचार किया गया है।

अध्याय-4

नीति कार्यढांचा

पिछले खंडों में हमने उन विजन, चुनौतियों एवं नीति उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिन्हें ठोस कार्यों के माध्यम से पूरा किया जाना है। इस समय बड़ी संख्या में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ये कार्य बहुत वर्षों से और कुछेक मामलों में बहुत से दशकों से चल रहे हैं। हमें हमारे शैक्षिक परिदृष्य के विशाल आकार और विभिन्न राज्यों के बीच आंतरिक उप-प्रणालियों की विभिन्नता को स्मरण रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई एक मात्र समाधान या उपचार नहीं है जो पथ-प्रदर्शक परिवर्तन का प्रयास करते हुए पहुंच, समावेशन एवं उत्कृष्टता की बहु-आयामी चुनौतियों का हल कर सके। इस नीति का प्रमुख विषय गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल देना है क्योंकि हमारा देश पहुंच में विस्तार एवं समावेशन में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों के लाभ का साक्षी रहा है। नियोजनीयता एक बड़ी चिन्ता का विषय है जिस पर अपेक्षित ध्यान दिया गया है। वैश्विक परिवर्तनों एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति ने विभिन्न उद्देश्यों की अभिप्राप्ति के लिए कुछ नए क्षेत्रों को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है।

कार्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसमें सभी सरकारी केन्द्रीय, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एवं स्थानीय स्तरों पर प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र के लिए कार्यान्वयन कार्यनीतियां संसूचित की जाएगी। विशेषरूप से, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के अनुरूप अपनी कार्य नीतियां एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इन आगे के प्रत्येक खंडों में आने वाले प्रमुख क्षेत्र और किए जाने वाले कार्यों के बारे में यह कहना आवश्यक नहीं है कि ये किसी भी ढंग से अंतिम नहीं है और यहां अन्य संभावित कार्य हो सकते हैं जिन पर बाद में विचार किया जा सकता है।

क्रम. सं. विषय-वस्तु

4.1 **पूर्व-स्कूल शिक्षा**

विगत में पूर्व-स्कूल शिक्षा पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा सका क्योंकि, सरकारी स्कूल पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा नहीं देते। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) कार्यक्रम को प्रारंभिक बाल्य शिक्षा देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि बाल वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जब बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास चरम पर होता है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. प्राथमिकता के तौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वयन में 4-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-स्कूल शिक्षा कार्यान्वित की जाएगी।

2. इस समय आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनबाड़ियों में पूर्व-स्कूल शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। आंगनबाड़ियों में पूर्व-स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक वर्ष के भीतर पाठ्यचर्या तैयार करने और अधिगम सामग्री का निर्माण करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों के परामर्श से कदम उठाए जाएंगे।

3. राज्य सरकारें पूर्व-प्राथमिक अध्यापकों का संवर्ग तैयार करेंगी और उनके लिए पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं का सृजन करेंगी। आंगनबाड़ी से लेकर पूर्व-प्राथमिक स्कूल बच्चों के जाने की प्रक्रिया धीरे-धीरे और निर्बाध होगी और इसकी अभिप्राप्ति की समय-सीमा निर्धारित करने का कार्य प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया जाएगा।

4. समय के साथ सभी प्रारंभिक स्कूल पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को कवर करेंगे। इस कार्य के लिए सभी आंगनबाड़ियों को या तो स्कूल परिसरों में जहां तक संभव हो उनके नज़दीक स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

5. निजी पूर्व-स्कूलों के लिए उपयुक्त विनियामक एवं निगरानी नियम तथा तंत्र तैयार किया जाएगा।

4.2 बाल एवं किशोर शिक्षा अधिकारों का संरक्षण

बाल अधिकारों का संरक्षण बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा से भी आगे बढ़कर है जिसमें शारीरिक दंड, भावात्मक एवं शारीरिक उत्पीड़न का न होना, स्कूल कार्यकलापों के दौरान चोट लगने के विरूद्ध सांवधानियां, सुरक्षित अवसंरचना, बाल अनुकूल भाषा एवं व्यवहार का प्रयोग, भेदभाव का न होना, शारीरिक शोषण, मादक पदार्थों का सेवन, छेडखानी आदि शामिल हैं। यह सही प्रकार के वातावरण के निर्माण की मांग करता है जिसमें बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और स्वीकार्यता दोंनो हों। बाल अधिकारों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. बच्चों की स्कूली सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना एवं दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे और इन्हें मान्यता एवं पंजीकरण के लिए स्कूल शिक्षा संस्था के लिए पात्रता शर्तों का एक भाग बनाया जाएगा।

2. अध्यापकों की शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में एक मॉड्यूल के माध्यम से प्रत्येक प्रधानाचार्य और अध्यापक को बाल अधिकारों एवं उनके उल्लंघन के कारकों से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

3. किशोर शिक्षा कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों की पाठ्यचर्या में समेकित किया जाएगा।

4. किशोर शिक्षा को माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के पूर्व एवं सेवाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

5. छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लाभ के लिए बाल अधिकारों पर स्व-शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

6. स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलरों को बढ़ती उम्र के लड़के एवं लड़कियों द्वारा सामना की जा रही किशोर अवस्था की समस्याओं पर अभिभावकों एवं अध्यापकों को गुप्त रूप से परामर्श देने के लिए रखा जाएगा।

4.3 स्कूल शिक्षा में अधिगम परिणामः

प्रारंभिक शिक्षा में घटिया अधिगम परिणाम लगातार गंभीर चिन्ता का विषय रहे हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पठन, लेखन एवं अंकगणित के मूल कौशलों को भी नहीं सीख रहे हैं। राज्यों ने अधिगम परिणामों को परिभाषित करने एवं उनके मापन तथा प्रारंभिक श्रेणी के पठन, लेखन, बोध तथा गणित कार्यक्रम में वृद्धि करने जैसी पहलें की हैं। तथापि, इन सभी प्रयासों के बावजूद घटिया अधिगम परिणाम एक चुनौती रहा है। अतः, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की प्राथमिकता स्कूली बच्चों के अधिगम

परिणामों में सुधार करना है जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. आरटीई अधिनियम में निर्धारित अवसंरचना मानकों के अतिरिक्त अधिगम परिणामों के लिए मानक तैयार किए जाएंगे और उन्हें निजी एवं सरकारी दोनों स्कूलों पर समान रूप से लागू किया जाएगा।

2. आरटीई अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों के दायरे में राज्य, स्थानीय दशाओं के मद्देनजर अवसंरचना के डिजाइन एवं उसकी योजना बनाने में लचीलापन बरत सकेंगे। स्थानीय दशाओं के अनुरूप 'वैकल्पिक स्कूलों', जो अत्यधिक रूप से वंचित एवं विस्थापित बच्चों की विशेष श्रेणियों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले उन बच्चों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप उपलब्ध कराते हैं, हेतु यदि आवश्यक हुआ तो आरटीई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से स्थानीय मापदंड तैयार किए जाएंगे।

3. रोके न जाने (नो-डिटेंशन) की नीति के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा क्योंकि इसने छात्रों के शैक्षिक कार्य प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रोके न जाने की नीति कक्षा V तक ही सीमित होगी और उच्च प्राथमिक स्तर पर फेल किए जाने की प्रणाली को पुनः लागू किया जाएगा। सुधारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों की स्कूलों द्वारा आयोजित किये जाने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के आधार पर पहचान की जाएगी।

4. स्कूलों में शिक्षण स्तर में सुधार, विशेष शैक्षिक सहायता के माध्यम से बच्चों की सहायता हेतु एक व्यवस्था का निर्माण और ई-संसाधनों सहित ज्ञान के बहु-आयामी स्रोतों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

4.4 स्कूल शिक्षा

जबकि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) एक वास्तविकता बन गई है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अपरिहार्य है। इसके लिए उन सभी पात्र छात्रों को समायोजित करने के लिए संस्था की स्थिति और प्रबंधन पर ध्यान दिए बिना निर्धारित मानकों के साथ माध्यमिक स्कूल प्रणाली का विकास करने की आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल में

बनाए रखने में और उनकी अगली कक्षा में जाने की दरों में सुधार करना एक चुनौती है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली भी बहुत सी विकृतियों और कदाचारों से छलनी हुई पड़ी है। जबकि कुछ राज्यों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करने के प्रयास किए गए हैं वहीं समग्र स्थिति को बड़े सुधारों की जरूरत है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. प्रत्येक राज्य कम नामांकन एवं अपर्याप्त अवसंरचना वाले स्कूलों की पहचान करने के लिए स्कूल कार्यनीति पर बड़े पैमाने पर कार्य करेगा। जहां भी संभव होगा मानवीय, भौतिक एवं अवसंरचनात्मक संसाधनों, बेहतर शैक्षिक कार्यप्रदर्शन एवं लागत प्रभावी प्रबंधन के ईष्टतम उपयोग के लिए मौजूदा अव्यवहार्य स्कूलों को समेकित स्कूलों में परिवर्तित करने के प्रयास किए जाएंगे। जब स्कूलों का विलय कर दिया जाएगा तब उन्हें एक ही परिसर में स्थापित किया जा सकेगा। राज्यों के परामर्श से आरटीई अधिनियम में ढ़ील दिए बिना विलय एवं समेकन हेतु सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। यह समेकन देश को सामने दिखाई देने वाले भविष्य में एक कक्षा-एक अध्यापक मानक की प्राप्ति में समर्थ बनाएगा।

2. आरटीई अधिनियम के खंड 12(1) (ग) के सरकारी सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं (धार्मिक एवं भाषायी) में विस्तार संबंधी मामले की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर जांच की जाएगी।

3. राज्य एक समुचित आयु वर्ग तक आरटीई का विस्तार करने का प्रयास करेंगे ताकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा को समाविष्ट किया जा सके।

4. स्कूल शिक्षा में सभी स्तरों पर सुविधाओं एवं छात्र परिणामों के प्रावधानों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएंगे।

5. केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों (जनवि) का विस्तार किया जाएगा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीबी) का, अपेक्षाकृत शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देते हुए, जहां भी संभव होगा, माध्यमिक स्तर तक विस्तार एवं उनको अपग्रेड किया जाएगा। जनवि की सफलता के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और राज्यों द्वारा दोहराया जाएगा।

6. पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले और काम-काजी बच्चों को बिना पूर्णकालिक औपचारिक स्कूलों में उपस्थित हुए अपनी पढ़ाई करने में समर्थ बनाने के लिए मुक्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

7. बहुत बार छात्र अपनी सहज योग्यता और रूचि के अनुसार सही शैक्षिक विकल्पों को चुनने की असमंजस की स्थिति में होते हैं जिसके कारण वे अपनी वास्तविक क्षमता को समझने में निष्फल हो जाते हैं जिसके परिणाम घटिया उपलब्धि, उदासी और तनाव होते हैं। छात्रों को अपनी वास्तविक क्षमता एवं अभिरूचि क्षेत्र को पहचानने में सहायता करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक अभिरूचि परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन कमियों को दूर करके और विशेष अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करने, देरी से सीखने और कम उपलब्धि वाले बच्चों की सहायता करने, व्यावसायिक कौशल आधारित कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों का सही विकल्प चुनने में मदद करने और संबंधित रोजगार अवसरों के बारे में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक छात्रों का मार्ग-निर्देशन देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी और स्कूलों में पेशेवर काउंसलर रखे जाएंगे।

4.5 **पाठ्यचर्या नवीकरण एवं परीक्षा सुधार**

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में "शिक्षा सूचनाओं का समूहन नहीं है जिन्हें हम आपके दिमाग में डाल देते हैं और जहां ये उत्पात मचाती हैं, पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देती है। हमारे पास जीवन-निर्माण, मानव-निर्माण, चरित्र निर्माण को आत्मसात करने वाले विचार होने चाहिए। यदि आपने पांच विचारों को आत्मसात कर लिया है और उन्हें अपने जीवन और चरित्र का अंग बना लिया है तो आपके पास उस व्यक्ति से अधिक शिक्षा होगी जिसने पूरे पुस्तकालय को कण्ठस्थ कर लिया है..... यदि शिक्षा सूचना के समरूप है तो पुस्तकालय विश्व के महानतम पादप हैं और विश्वकोष महानतम ऋषि हैं" स्वामी विवेकानन्द की उक्ति-इंटरनेट के आगमन एवं बढ़ती हुई डिजिटल क्नेक्टिविटी, जब हमें पुस्तकालयों में जाने की जरूरत नहीं है और सभी सूचनाएं बटन की क्लिक पर उपलब्ध हैं, के साथ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः आज सूचना आधारित शिक्षा प्रणाली को जीवन कौशल की शिक्षा देने वाली मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली, जो मानव निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती है, में बदलने की जरूरत है।

उभरते अधिगम क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या के नवीकरण की जरूरत है। पाठ्यचर्या में प्रशिक्षुओं को वैश्वीकरण के प्रभाव तथा उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज की मांगों के अनुरूप अनु-क्रियाशील बनाने, विभिन्न प्रशिक्षु समूहों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने, शिक्षा को जीवन कौशल और कार्यजगत के साथ जोड़ने,

धारणीय विकास संबंधित कार्य करने, उस अनुदेशीय व्यवस्था जो अधिक लचीलता एवं वैयक्तिकरण की दिशा में बढ़ रही है के प्रति उत्तरदायी बनाने, आदि पर बल दिया जाए। पाठ्यचर्या छात्रों को अधिगम परिणामों में उत्कृष्ट उपलब्धि के अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए जिसकी उच्च कार्य निष्पादन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में छात्र अधिगम परिणामों से तुलना की जा सके। पाठ्यचर्या में उन शैक्षिक कार्य निष्पादन एवं अधिगम परिणामों को परिभाषित करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से शिक्षा उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तथा जिनकी अभिलब्धि को पाठ्यचर्या के संशोधन और उन्नयन के दृष्टिगत मूल्यांकित/मॉनीटर किया जा सकता है।

छात्र अधिगम के मूल्यांकन में सुधार को अधिगम परिणामों को सुधारने संबंधी प्रयासों के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, सत्र-अंत और वार्षिक परीक्षा तथा कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं के लिए प्रणालियां लागू हैं। तथापि, स्कूल स्तर पर समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया असंतोषजनक ही है। अधिकांश मामलों में अधिगम मूल्यांकन विषयवस्तु ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने संबंधी छात्र योग्यता की जांच करने तक सीमित है। स्कूली एवं सह-स्कूली क्षेत्र दोनों से संबंधित अधिगम परिणामों सहित छात्रों के व्यापक मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए समग्र मूल्यांकन प्रणाली में नवीकरण करने की जरूरत है। एक ऐसी प्रणाली को शुरू करने की भी जरूरत है जो पूरे वर्ष स्कूली और सह-स्कूल क्षेत्र दोनों में छात्र की प्रगति का पता कर सके।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. उभरती हुई महत्वाकाक्षांओं तथा सामाजिक जुडाव, धार्मिक मेल-जोल और राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय उद्देश्य की अनुरूपता को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या सुधार किए जाएंगे। पाठ्यचर्या परिणाम आधारित होनी चाहिए और इसका उद्देश्य बढ़ती हुई तकनीकी मांग आधारित परिवेश में जीवन कौशल प्रदान करते हुए छात्र का समग्र विकास करना होना चाहिए। सभी छात्रों को मौलिक कर्तव्य एवं अधिकारों दोनों का शिक्षण दिया जाएगा ताकि वे देश एवं विदेश दोनों में एक जिम्मेवार नागरिक बन सकें।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में हो रहे ह्रास संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए पुनर्विन्यास किया जाएगा और पाठ्यचर्या एवं शिक्षण-शास्त्र का आवधिक नवीकरण किया जाएगा ताकि रटन शिक्षण को समझ परक शिक्षण की ओर ले जाया जा सके तथा जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके।

3. विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को तैयार किया जाएगा। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य विषयों के लिए पूरे देश भर में पाठ्यचर्या का एक भाग समान होगा और शेष राज्यों के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा।

4. कक्षा V के आगे एक ग्रेडिड तरीके से पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता शुरू की जाएगी। तथापि, आईसीटी को एक विषय के रूप में कक्षा VI से शुरू किया जा सकता है। आईसीटी पाठ्यचर्या को सभी स्तरों पर संशोधित किया जाएगा ताकि उन्हें अनुप्रयोग अभिमुख बनाया जा सके।

5. यह सुविदित है कि विज्ञान की अवधारणाएं छात्रों को प्रदर्शन तथा प्रयोगशाला के प्रयोगों द्वारा अच्छी तरह से समझ में आती है। अत: विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए व्यवहारिक घटकों को कक्षा VI से आगे धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा।

6. विभिन्नता में एकता पर बल देते हुए लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विषमताओं के मुद्दों का पाठ्यचर्या और इसके पढ़ाने में उचित रूप से समाधान किया जाएगा। ये पाठ्यचर्या सामाजिक न्याय के मुद्दों को कवर करेगा और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए विधिक उपाय करेगा। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पाठ्यपुस्तकें सदभाव को बढ़ाएंगी और कोई भी भेदभाव वाले मुद्दे/घटनाएं/उदाहरण जो लिंग, विकलांगता, जाति, धर्म आदि के संदर्भ में इनकी विषयवस्तु में नहीं होंगे। सभी विषय क्षेत्रों के माध्यम से नागरिक शिक्षा, शांति शिक्षा, चरित्र निर्माण, विधि एवं संवैधानिक साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, पर्यावरणीय स्थिरता तथा अन्य सामान्य मुद्दों का संवर्धन किया जाएगा।

7. परीक्षाओं को व्यापक जागरूकता, समझ और व्यापकता की जांच करने के लिए तथा उच्चतर क्रम में की समस्या समाधान कौशलों के लिए तैयार किया जाएगा न कि केवल पाठ्यपुस्तक सामग्री को दोबारा से पुन:उद्धत करने के लिए। सतत मूल्यांकन, पेपर बनाने में मानक, मूल्यांकन मानदंड में पारदर्शिता आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस दिशा में किए जा सकते हैं। लचीलापन शुरू करने और वर्षांत में वार्षिक दबाव को कम करने के लिए सरकार मांग पर आधारित बोर्ड परीक्षा शुरू करने का एक प्रयास करेगी।

8. कक्षा-X परीक्षा में अधिक असफलता दर तीन विषयों: गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी में बड़ी मात्रा में कम निष्पादन को दिया जाता है। असफलता दरों को कम करने के लिए कक्षा-X परीक्षा में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा दो स्तरों पर होगी: भाग-क एक उच्च स्तर पर और भाग-ख निम्न स्तर पर। वे छात्र जो ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों

में जाना चाहते हैं जिनके लिए विज्ञान, गणित अथवा अंग्रेजी एक पूर्वापेक्षा है अथवा कक्षा-X के बाद व्यावसायिक विषयों में जाना चाहते हैं, वे भाग-ख स्तर की परीक्षा में जाने के लिए विकल्प दे सकेंगे।

9. इस समय केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड कक्षा-X और XII की परीक्षा संचालित करते हैं। छात्रों के लिए बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-X की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होगा जिस बोर्ड के साथ उनका स्कूल संबद्ध है। कक्षा-X की बोर्ड परीक्षा, कक्षा-X के समग्र पाठ्यक्रम को कवर करेगी।

10. विभिन्न बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की गुणवत्ता और मूल्यों में व्यापक विभिन्नताएं हैं, जो अधिगम के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे आरोप भी हैं कि बहुत से परीक्षा बोर्ड, पास प्रतिशतता बढ़ाने के लिए रियायती अंक प्रदान कर रहे हैं। न केवल इस प्रथा को बंद किए जाने की जरूरत है अपितु एक प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए जो सभी बोर्डों और वर्षों तक छात्रों के उपलब्धि स्तरों की एक बेहतर तुलनात्मक तस्वीर पेश कर सके। स्केलिंग एक विकल्प है। कुछ अन्य विकल्पों में कक्षा-X और XII के अंत में एक केन्द्रीय परीक्षा संचालित करना है, अथवा प्रत्येक बोर्ड में प्रतिशतता के रूप में अंकों को व्यक्त करना है। इन सभी संभावित विकल्पों पर शैक्षिक विशेषज्ञों के एक दल द्वारा अध्ययन किया जाएगा जो छात्रों के उपलब्धि स्तरों को दर्शाने के लिए एक समाधान सुझाव दे सके।

11. प्रक्रियाविधि सुधारों को शुरू किया जाएगा जैसेकि स्थानांतरण प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र आदि को समाप्त करना ताकि छात्रों की एक संस्थान से दूसरे संस्थान में गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जा सके।

4.6 समावेशी शिक्षा और छात्र सहायता

यह एक स्थापित तथ्य है कि गुणवत्ता और साम्यता पर बनाई गई शैक्षिक प्रणाली उभरती हुई ज्ञान अर्थव्यवस्था में निरंतर सफलता की एक कुंजी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा के लिए बहुजातीय वातावरण का सृजन नहीं कर रही है जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। हालांकि हाल ही के दशकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच में सुधार हुआ है, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आ रहे छात्र अधिगम अवसरों में असमानता से संबंधित महत्वपूर्ण बाधाएं झेलते हैं जोकि प्राय: सामाजिक रूप से तथा परिस्थितिजन्य कारकों से होती हैं।

आदिवासी बच्चों में शिक्षा स्तर एक गंभीर चिंता का विषय है। गंभीर मुद्दों, जैसेकि कम साक्षरता दरें, कम नामांकन दरें, स्कूल छोड़ने की अधिक दर, आदिवासी बच्चों की अधिक मृत्यु दर का समाधान किया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सभी प्रयत्नों, जिनमें छात्रवृत्ति आदि का प्रावधान शामिल है, के बावजूद आदिवासी शिक्षा की हालत असंतोषजनक है। आदिवासी बच्चों के कम शैक्षिक विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपलब्धता मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर-जनजातीय शिक्षकों के लिए भाषा और संचार भी एक समस्या है।

अध्ययन कार्यक्रमों के लिए वित्त सुनिश्चित करने, जो या तो छात्रवृत्तियों अथवा ऋणों से हो सकता है के लिए तंत्र बनाने से मेधावी छात्रों को उनके अध्ययन जारी रखने में सहायता मिल सकती है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. महिला-पुरूष, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विषमताओं के मुद्दों का, विविधता पर बल देने के साथ पाठ्यचर्या और इसके पढ़ाने में उचित रूप से समाधान किया जाएगा। ये पाठ्यचर्या सामाजिक न्याय के मुद्दों को कवर करेगी और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए विधिक उपाय करेगी।

2. पूर्व व्यावसायिक अभिमुख कार्यकलापों को पाठ्यक्रम के पहले चरणों में डाला जाएगा ताकि श्रमिकों की प्रतिष्ठा और बच्चों के कौशल विकास की ओर सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जा सके।

3. मैरिट को प्रोत्साहित करने और साम्यता बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय फैलोशिप निधि, जिसका उद्देश्य मुख्यतया ट्यूशन फीस, अधिगम सामग्री और लगभग दस लाख छात्रों के लिए रहने के खर्च के लिए होगी, सृजित की जाएगी। इस निधि से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक अलग राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें सभी विषय क्षेत्र कवर होंगे और जो कक्षा 10वीं के बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से सभी वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए होगी, सृजित की जाएगी।

4. आश्रमशालाओं एवं नजदीकी माध्यमिक स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के बीच सहक्रियाओं एवं संपर्क स्थापित करने, सलाह एवं परामर्श देने के तौर-तरीकों पर कार्य किया जाएगा।

5. जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के समन्वय से नियमित कार्य समय के बाद स्कूलों में और अधिक कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

6. अनुभव दर्शाते हैं कि जनजातीय बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में समझने और पढ़ने में कठनाई होती है, जो आमतौर पर पढ़ाई का माध्यम होती है। इस बाधा से उभरने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि, जहां कहीं आवश्यक हो, बहुभाषा शिक्षा को लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7. दिव्यांग एवं अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों, जो सामाजिक अनदेखी, घर पर सहायक व्यवस्था की अनुपलब्धता विशेषकर छोटे स्कूलों एवं गांवों में स्थित स्कूलों में अपर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाओं एवं उपकरणों की कमी जैसी बहुआयामी समस्याओं का सामना करते हैं, की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष हस्तक्षेप अपनाए जाएंगे।

8. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जारी रहेंगी और उनकी कवरेज और निधियन का संवर्धन किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर एक उपयुक्त व्यवस्था बनाई जाएगी जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी और उनके लिए उपलब्ध होगी।

9. स्थानीय स्तर पर, बाल एवं चिकित्सा मनोवैज्ञानिकों वाली एक अंश-कालिक उप विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी ताकि कोई भी स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी उन मामलों जहां तीसरे पक्ष के मूल्यांकन या परामर्श की जरूरत हो, को भेज सकते हैं। यह उप-समिति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सुग्राही एवं उपयुक्त देख-रेख के लिए अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण पर परामर्श दे सकती है।

10. केन्द्र सरकार अधिगम निःशक्ताओं के समाधान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में निवेश उपलब्ध करवाने और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने में अगवाई करेगी।

11. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों के वंचित बच्चों को शिक्षण अवधि के दौरान महत्वपूर्ण चरणों में अतिरिक्त उपचारात्मक कोचिंग या परामर्शी सुविधा दी जाएगी।

12. प्रवासी बच्चों की शिक्षा को स्रोत या विस्थापन गन्तर्वय पर आवासीय स्कूल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से या किसी अन्य उपयुक्त माध्यमों से समान अवसर एवं बिना किसी भेदभाव के आधार पर पूरा किया जाएगा।

13. महिला-पुरूष भेदभाव और हिंसा के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के सकारात्मक उपायों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के समावेशन, उन्हें बनाए रखने एवं उनकी स्थायी उपस्थिति को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति एवं भर्ती सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे।

14. उच्चतर शिक्षा में निःशक्त छात्रों को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंदान एवं विकास कार्यों हेतु समर्पित निधियां होगी। अवसंरचना, शैक्षिक पहुंच एवं कार्य निष्पादन के लिए निःशक्तता पहुंच की सामाजिक एवं अनुसंधान लेखापरीक्षा की जाएगी।

15. क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान के लिए विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियां संभव हैं। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शैक्षिक पिछड़ेपन को विनिश्चित करने के लिए मानदंडों का पुनः अवलोकन किया जाएगा एवं नए मानक तैयार किए जाएंगे। शैक्षिक एवं कौशल अंतरालों को पहचानने और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप पिछड़े वर्गों के लिए विशेष हस्तक्षेपों को सुकर बनाने हेतु जिला-वार कार्यनीति बनाई जाएगी।

4.7 साक्षरता एवं जीवन पर्यन्त शिक्षण

प्रौढ़ साक्षरता पर पहली बार 2 अक्टूबर 1978 को बल दिया गया था जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एनएईपी) को शुरू किया गया था। पहले 40 वर्षों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता प्रोग्राम (आरएफएलपी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम), साक्षर भारत अभियान आदि जैसे बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद भारत में 280 मिलियन प्रौढ़ अनपढ़ हैं जो विश्व में प्रौढ़ अनपढ़ों की कुल संख्या का लगभग 1/3 भाग है। यह संख्या चिंताजनक प्रौढ़ साक्षरता संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने की मांग करती है।

कार्यात्मक साक्षरता, पठन, लेखन और गणना कौशल का वह स्तर है जो किसी विशेष समुदाय, जिसमें वह व्यक्ति रहता है के कार्य करने के लिए पर्याप्त है। कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति शैक्षणिक विकास का एक एकीकृत और अविभाज्य घटक है। सार्वभौमिक युवा एवं

प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य है जिनकी समय-समय पर परिकल्पना की गई है।

इस समकालीन विश्व में जीवन पर्यन्त शिक्षा को साक्षर समाज के एक कारक के रूप में माना जाता है। ये मूल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित एक शिक्षित वातावरण के रूप में हुई पथ प्रगति हैं जो समाज के सभी वर्गों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुआयामी अवसर प्रदान करती है। लोगों के अस्तित्व और जीवन गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्र, मानव, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आज जीवनपर्यन्त शिक्षा अनिवार्य है। यदि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा करनी है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है तो उसे सुपरिभाषित जीवनपर्यन्त शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा।

गैर साक्षरों की बड़ी भारी संख्या, ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदभव, वैश्वीकरण की चुनौतियां, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अत्यधिक विस्तार और व्यक्तियों की बढ़ती उम्र प्रौढ़ शिक्षा नीति और कार्यक्रमों में एक बड़े बदलाव की मांग करती है। विविध और जटिल भारतीय समाज में साक्षरता के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। साक्षरता के प्रति दृष्टिकोण जीवन-यापन, मनोरंजन, विकासीय हस्तक्षेपों आदि पर केन्द्रित होने के साथ लचीला, विकेन्द्रीकृत और संदर्भ आधारित होना चाहिए।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. सार्वभौमिक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति के लिए मौजूदा पहलों को सुदृढ़ किया जाएगा और पाठ्यचर्या का स्वयं-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन, सरकारी स्कूल/कॉलेज/शैक्षिक संस्थान, युवा एवं महिला संगठनों को शामिल करते हुए बहुआयामी कार्यनीतियों के साथ नवीकरण किया जाएगा।

2. सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्ति के लिए शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा समिति के साथ-साथ संसाधन सहायता निकायों सहित मौजूदा अवसंरचना के अधिदेश को रीमॉडल करने और सुदृढ़ीकरण की जरूरत होगी।

3. सरकार एई कार्यक्रमों को रीमॉडल करने और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञों के शीर्ष निकाय की स्थापना और साक्षरता, कौशल विकास और प्रमाणपत्र हेतु पूर्व शिक्षण तथा समकक्षता, जिससे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश की

सुविधा प्राप्त हो सकती है, में प्रौढ़ों के शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक मापदंड विकसित करेगी। एनएलएमए प्रौढ़ शिक्षा व्यक्तियों के पूर्व शिक्षण और व्यावसायिक उन्नयन के प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए प्रत्यायित एजेंसियों के साथ भागीदार होगी।

4. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कौशल विकास तथा डिजिटल, वित्त एवं विधिक साक्षरता शामिल की जाएगी।

4.8 शिक्षा में कौशल और नियोजनीयता

जबकि विकसित विश्व में उच्च निर्भरता अनुपात के साथ युवा जनसंख्या तेजी से सिकुड़ रही है। भारत विश्व में एक युवा राष्ट्र है जहां कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत 25 वर्ष की आयु से नीचे हैं। यह अनुमान है कि 2022 तक इस कार्यबल के 104.62 मिलियन नए युवा आगन्तुक होंगे जिन्हें कुशल बनाने की आवश्यकता होगी तथापि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की सहायता के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं अभी भी अपर्याप्त हैं।

औपचारिक रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में कौशल विकास को जोड़ने, छात्रों की ऊर्ध्वाधार और समानान्तर गतिशीलता के अवसरों के साथ व्यावसायिक उपलब्धियों में शैक्षिक समानता लाने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए हैं। नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत विकास और आर्थिक वृद्धि हेतु शिक्षा और कौशल का जुड़ना आवश्यक है। उच्च गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण की गरिमा और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए उन पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास कार्यक्रमों का न केवल हमारे छात्रों के लाभदायक रोजगारों के लिए अपितु उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करने में सहायता करने हेतु पुनर्विन्यास किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में जैसाकि विचार किया गया है, कौशल विकास कार्यक्रम 25 प्रतिशत स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समेकित किए जाएंगे।

3. विशेष फोकस वाले जिलों में माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए रोजगार अवसरों में सुधार करने और कौशल स्कूलों का निर्माण करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

4. माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में वर्तमान कौशल आधारित कार्यक्रमों को एनएसक्यूएफ के माध्यम से अधिक सामाजिक स्वीकार्यता के साथ-साथ ऊर्ध्व और क्षैतिज गतिशीलता देने के लिए शिक्षा की मुख्यधारा में एकीकृत किया जाएगा। यह प्रवेश और निर्गम विकल्पों, क्रेडिट बैंक प्रणाली, क्रेडिट हस्तांतरण के लिए संस्थागत सहयोग, राष्ट्रीय मान्यता और निष्कर्ष आधारित मूल्यांकन के लिए कौशलों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक आधारित प्रतिपादन के माध्यम से कौशल प्रमाणन के लिए संस्थागत तंत्र का सृजन किया जाएगा।

5. अबतक पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) और मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए एक वर्ष के भीतर ऐसे कौशल और क्षमताओं के सत्यापन और मूल्यांकन और उनके प्रवेश को सुकर बनाने के लिए जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है परन्तु कौशल को प्राप्त किया है, के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास करेगी।

6. छात्रों को मजदूरी-रोजगार प्राप्त करने अथवा उन्हें अपना काम शुरू करने में सहायता करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषद और स्कूल/कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र।

4.9 शिक्षा में आईसीटी का उपयोग

वर्ष 1986/92 की गत शिक्षा नीति के बाद, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उदभव एक महत्वपूर्ण विकास है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम लाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अलग-अलग रूपों में उपयोग से न केवल क्षेत्र प्रबंध हेतु, बल्कि शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि, शिक्षा अवसरों में विस्तार और शैक्षिक आयोजना और प्रबंधन में सुधार में सीधे सहायता करने के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। आईसीटी का उपचारात्मक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों, कौशल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा में अधिगम उपकरण और अभिशासन और प्रबंधन उपकरण के रूप मे भी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ छात्रों और स्कूलों के कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए आईसीटी आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में इसी प्रकार के अनेक प्रयास और नई पहलें एवं प्रयोग जारी हैं। एक अच्छी समन्वित कार्यनीति की आवश्यकता है जो भारत में शिक्षा के सुधार हेतु आईसीटी के उपयोग का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर सके।

निम्नलिखित नीति पहलें की जाएंगीः

1. शिक्षा के सभी स्तरों और अधिगम के क्षेत्रों में आईसीटी को अभिन्न अंग बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाएंगे।

2. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए आईसीटी के एक उपकरण के रूप में उपयोग संबंधी पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगा।

3. एक बच्चे के स्कूल में प्रवेश के समय से स्कूल छोड़ने तक के सभी रिकार्ड का ऑनलाइन रखरखाव करना अनिवार्य होगा।

4. आईटी आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति मॉनीटरिंग, शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, छात्रों का कार्य निष्पादन और प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड और लेखाओं का रख-रखाव करने आदि के लिए भी किया जाएगा।

5. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्कूल प्रबंधन हेतु आईटी अनुप्रयोगों के विशेष उपयोग के लिए एक कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। आईटी रिपोर्टिंग प्रणालियां बेहतर स्कूल प्रबंधन और कार्य-निष्पादन के लिए सशक्त साधन होंगी।

6. आईसीटी को अलग)पृथम रूप(से नहीं देखा जा सकता परंतु उसे अन्य अवसंरचना मुद्दों जैसे उचित कमरों की उपलब्धता, विश्वसनीय इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, स्कूल परिसर की सुरक्षा, अवसंरचना का अनुरक्षण आदि के साथ देखा जाएगा। कार्यक्रमों में इन घटकों को प्रदान करते हुए, शैक्षिक अवसरों और सुविधाओं में सुधार का ध्यान दिया जाएगा। चूंकि विश्वसनीय इलेक्ट्रिसिटी एक समस्या हो सकती है। शैक्षिक संस्थाओं में आईसीटी के उपयोग के विस्तार हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

7. मूक आईसीटी का अन्य अनुप्रयोग है जो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तरों विशेषकर वहनीय लागत पर गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि के लिए आईसीटी समर्थित शिक्षा में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है।

8. पहले से विकसित मॉडल को अपनाना अल्पावधि हेतु कार्य कर सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से विकसित मॉडलों के उपयोग के अलावा, अनुप्रयोगों/मॉडलों का विकास किया जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप

शिक्षकों और छात्रों द्वारा उपलब्ध मुक्त सॉफ्टवेयर के उपयोग से विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/मोबाइल एप्स के विकास को प्रोत्साहन और प्रसुविधा दी जाएगी।

4.10 शिक्षक विकास और प्रबंधन

गुणवत्ता के सुधार हेतु शिक्षकों की क्षमता और उनका प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी समाधान करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। इस क्षेत्र में कुछ मुख्य चुनौतियां माध्यमिक स्कूल में गणित, विज्ञान और भाषा के अध्यापकों की कमी, सेवारत अध्यापकों)की प्रारंभिक तैयारी और(/सतत व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना, व्यवसाय के रूप में शिक्षण की स्थिति में वृद्धि, शिक्षकों के प्रोत्साहन और अधिगम निष्कर्षों को सुनिश्चित करने के लिए उनके दायित्व में सुधार करना और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं और शिक्षक प्रशिक्षकों की भी गुणवत्ता में सुधार करना है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद, दोनों प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियों के मुद्दों, अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावसायीकरण में कमी, प्रशिक्षण और वास्तविक कक्षा अभ्यासों में असंगति, शिक्षक अनुपस्थिति और शिक्षक दायित्व एवं शिक्षकों का गैर-शिक्षक कार्यकलापों में लगे रहना, सभी के समाधान की आवश्यकता होगी। अनेकों सरकारी स्कूलों में पूर्णकालीन प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्य नहीं हैं। प्रभावी नेतृत्व की कमी शिक्षकों में अनुशासनहीनता बड़ी है जिससे शैक्षिक मानकों में घिरावट आई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अनेक नीति उपायों को किया जाएगा।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. राज्य सरकारों के साथ परामर्श से शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पारदर्शी एवं मैरिट आधारित मानकों और दिशा-निर्देशों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा पारदर्शी, मैरिट आधारित चयन और शिक्षकों, प्रधनाचार्यों और अन्य शैक्षिक संवर्गों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र शिक्षक भर्ती आयोगों की स्थापना की जाएगी।

2. शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में सभी रिक्तियों और प्रधान अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के सभी पदों को भरा जाएगा। प्रधान अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षक अनिवार्य होगा।

3. शिक्षकों की निष्पक्ष और समान तैनाती, उनकी रिक्तियों और स्थानांतरणों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु पारदर्शी मानकों का विकास किया जाएगा। दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों के लिए स्थानीय शिक्षकों को नियु क्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4. राज्य सरकारों द्वारा शिक्षकों की विषय-वार और राज्य-वार आवश्यकता के मूल्यांकन और अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए भी जनशक्ति आयोजना की जाएगी। स्वीकृत पदों के विरूद्ध योग्य शिक्षकों को लगाकर संविदा शिक्षकों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा।

5. शिक्षक अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों, शिक्षक रिक्तियों और शिक्षक दायित्व की कमी का मजबूत राजनीतिक आम सहमति और इच्छा से समाधान किया जाएगा। उच्च प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापकों/प्रधानाचार्यों के मामले में स्कूल प्रबंधन समितियों)एसएमसी(को अनुशासनात्मक शक्तियां होंगी ताकि मोबाइल फोन और बॉयोमैट्रिक उपकरणों के साथ उपस्थिति रिकॉर्ड कर प्रौद्योगिकी की सहायता से उनकी अनुपस्थिति और अनुशासनहीनता से निपटा जा सके।

6. शिक्षकों की प्रारंभिक तैयारी और सतत व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रभावकारिता में सुधार करने पर विशेष बल दिया जाएगा। शिक्षकों की मौजूदा कमियों से निपटने के लिए अवधि, पद्धति, संरचना, पाठ्यचर्या और शिक्षण में परिवर्तन के लिए डिप्लोमा और स्नातक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।

7. राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षक शिक्षा और संकाय विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। एनसीईआरटी के तहत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों का विकास किया जाएगा और उन्हें क्षेत्रीय स्तरों पर शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालयों में तबदील किया जाएगा।

8. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं जैसे डाइट, बी.एड कॉलेजों आदि के लिए प्रत्यायन अनिवार्य होगा। ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के लिए बैंचमार्किंग मानक निर्धारित किए जाएंगे।

9. अध्यापक विकास कार्यक्रम में वे घटक शामिल होंगे जो अध्यापकों को विशेषकर जीवन कौशल, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा कला एवं शिल्प जैसी सह-स्कूली गतिविधियों की महत्ता का ज्ञान करवाने और इनको स्कूलों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शुरू करने में मदद करेंगे।

10. राष्ट्रीय स्तर के अध्यापक अवार्ड के अलावा, अध्यापकों के लिए उद्देश्यपरक मानदंडों पर आधारित राज्य और जिला स्तरीय अवार्ड भी शुरू किए जाएंगे। एसएमसी अध्यापकों के नामों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

11. अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए अध्यापकों की क्षमता, प्रेरणा एवं जवाबदेही को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

12. सभी सेवारत अध्यापकों को प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार प्रशिक्षण/व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करना अनिवार्य होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हुए तीन वर्षों की अवधि के भीतर सभी सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगी।

13. सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापकों के आवधिक मूल्यांकन को अनिवार्य किया जाएगा एवं इसे उनकी भावी पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि जारी करने, जैसा भी लागू हो, के साथ जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी और उसे उत्तीर्ण करना होगा जिससे उनके शिक्षण कौशल और विषय ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा।

14. प्रत्येक राज्य में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक अलग कैडर बनाया जाएगा। एससीईआरटी और डाइट को सुदृढ़ बनाने और इनके क्षमता निर्माण के लिए इन संस्थाओं एवं अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरा जाएगा।

4.11 शिक्षा में भाषा एवं संस्कृति

एक बहुभाषी समाज, शिक्षा में भाषाओं की महत्ता को जानता है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से एक त्रि-भाषा सूत्र)टीएलएफ(को तैयार किया गया था और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प, 1968 में प्रतिपादित किया गया था। यह सूत्र शिक्षा नीति 1986/1992 में जारी रहा हालांकि बहुत से राज्यों में टीएलएफ के कार्यान्वयन में भिन्नता रही है। भाषा के साथ उच्च भावानात्मक मुद्दे जुड़े होने के कारण कोई भी निर्धारण सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। समय के साथ, राज्यों ने स्थानीय महत्वाकांक्षाओं एवं वरीयताओं के प्रति जवाबदेही पूरी की है ताकि छात्र अंतर्राज्यीय, अंतरक्षेत्रीय के साथ-साथ वैश्विक गतिशीलता के लिए भाषा कौशल का विकास कर सकें।

छात्रों को जब उनकी मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है तब वे अच्छे ढंग से सीखते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा को सीखने और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की मांग में वृद्धि हो रही है।

शिक्षा का उद्देश्य शिक्षुओं के बीच भारत की समृद्ध धरोहर, महान पुरातन, उच्च परम्पराएं और भिन्न-भिन्न संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। शिक्षा सभी स्तरों पर शिक्षुओं को उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है जो उनमें जिम्मेवार नागरिक, शांति, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जुड़ाव और सभी धर्मों के लिए आपसी सम्मान के साथ-साथ सार्वभौमिक मूल्यों को संवर्धित करते हैं जिनसे वैश्विक नागरिकता की भावना पैदा करने और धारणीय विकास में सहायता मिलती है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यदि वे एसे चाहें तो, कक्षा V तक स्कूलों में मातृभाषा, स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं।

2. अंग्रेजी का ज्ञान छात्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह वैश्विक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। अत: बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कुशल बनाना आवश्यक है। इसलिए, यदि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा हो तो संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी तथा तीसरी भाषा का विकल्प (उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर) अलग-अलग राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों के पास होगा।

3. उच्च शिक्षा संस्थाएं, विशेष तौर पर तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं, सभी छात्रों को भारत की समृद्ध परम्पराओं, भाषाई तथा सांस्कृतिक विविधता और ज्ञान प्रणालियों के बारे में जानने के अवसर प्रदान करेंगी।

4. स्कूल शिक्षा में भारतीय संस्कृति, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को उचित स्थान दिया जाएगा। समानता और समता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र उत्तरदायी स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना और राष्ट्रीय अखंडता के मूल्यों का समावेशन करने हेतु नैतिक शिक्षा को सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा।

5. भारतीय भाषाओं की संवृद्धि और विकास में संस्कृत के विशेष महत्व और देश की सांस्कृतिक एकता में इसके अद्वितीय योगदान को ध्यान में रखते हुए स्कूल

और विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के शिक्षण हेतु और अधिक उदार पैमाने पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

6. शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों में नागरिकता का भाव, अनुशासन, समयनिष्ठा, स्वच्छता, सदाचरण, बुजुर्ग, दलित और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति तथा दया भाव, महिलाओं के प्रति सम्मान और मानवीयता की भावना उत्पन्न करेंगी।

4.12 व्यापक शिक्षा के माध्यम से आत्म विकास

शिक्षा का संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास (संज्ञानात्मक सहित शारीरिक, सामाजिक-भावनात्मक) से है और इसलिए केवल शैक्षिक उपलब्धियों के बजाय सभी पहलुओं का आकलन किए जाने की आवश्यकता है। अधिगम परिणामों और अन्य सह-शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार करके बच्चों के समग्र विकास पर समग्र प्रणाली पर फोकस किया गया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि केवल एक स्वस्थ बच्चा प्रभावी ढंग से सीख सकता है और अच्छा स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होता है। यह चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण और एनीमिया से ग्रस्त हैं जिसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. बच्चों के समग्र विकास हेतु शारीरिक शिक्षा, योग, खेल-कूद, एनसीसी, एनएसएसए, कला शिक्षा, बाल संसद, कला, शिल्प, साहित्य एवं कौशल और अन्य सह-शैक्षिक कार्यकलापों को कवर करते हुए इन सभी को स्कूलों में पाठ्यक्रम और दैनिक कार्यों का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्कूलों को मान्यता हेतु उपरोक्त के लिए सुविधाएं उपलब्ध होना पहली शर्त होगी।

2. स्कूलों में सभी सह-शैक्षिक कार्यकलापों के लिए निधियां सरकार/स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

3. सामान्यत: स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासित स्कूल स्वास्थ्य घटक के क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग और स्कूल सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य जांच के लिए स्कूल एक रोस्टर तैयार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यक्रम का अनुसरण किया जा रहा है। *डिजिटल इंडिया* पहल के भाग के रूप में प्रत्येक

बच्चे स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड और स्थिति का पता लगाने और निगरानी के लिए एप्स तैयार की जाएंगी।

4. सतत मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के जरिए कार्यान्वित स्कूल पोषण कार्यक्रम पोषण प्रदान करने और सामाजिक समता को प्रोतसाहित करने में सहायता करता है। माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को कवर करने के लिए मध्यान भोजन योजना का विस्तार किया जाएगा। मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु शिक्षकों पर भार नहीं डाला जाएगा। केंद्रीकृत रसोई-घरों में पकाए गए और स्कूलों में वितरित मध्याह्न भोजन को प्रदान करने हेतु सेवा प्रदान करने के लिए विख्यात सामुदायिक संगठनों की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.13 स्कूल मूल्यांकन और अभिशासन

स्कूलों में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी सभी इनपुटस, प्रक्रियाओं और यहां तक परिणामों में स्कूल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एसे साक्ष्य रहे हैं कि गांव के स्कूल तभी प्रभावशाली ढ़ग से कार्य करेंगे जब स्थानीय समुदाय सक्रिय होंगे और स्कूलों के कामकाज में भाग लेंगे। स्कूलों में बेहतर अभिशासन अवसरंचना की, आदेश देने और उकसाने के बीच संतुलन कायम करने, बेहतर प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों और मुख्य अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्कूल के कार्य-निष्पादन की बेहतर निगरानी और सहायतार्थ डेटा के प्रयोग के संबंध में और सामुदायिक संसाधनों एवं प्रयासों को संगठित करने और स्कूल के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई है। इसी प्रकार, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों, वास्तविक अवसंरचना, शिक्षक प्रबंधन, स्कूल प्रतिनिधित्व, अधिगम परिणामों और छात्रों और उनके माता-पिता/अभिभावकों की संतुष्टि सहित स्कूल की कार्य पद्धति के सभी पहलुओं को कवर करते हुए स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन प्रणाली की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्कूल प्रणाली को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जवाबदेही के साथ उपयुक्त स्वायत्ता कार्यढ़ाचे सहित एक स्कूल अभिशासन मॉडल अनिवार्य है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. देश भर में स्कूल की गुणवत्ता शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता, स्कूल नेतृत्व तथा स्कूल प्रबंधन को मापने और स्व-मूल्यांकन तथा कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विभिनन पैरामीटरों और संकेतकों सहित स्कूल मानदण्ड फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जाएगा। तत्पश्चात्, इस फ्रेमवर्क के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन, ग्रेडिंग और रैंकिंग की जाएगी।

2. स्कूल बोर्डों की मान्यता हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।

3. केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम के फ्रेमवर्क के तहत स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के कार्यान्वयन के संबंध में नीति संबंधी फ्रेमवर्क में अंतरालों को पाटने का कार्य करेंगी और व्यापक कार्यान्वयन एवं निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करेंगी।

4. एसएमसी के निरीक्षण के भाग के रूप में, राज्य सरकारें उनकी चुनाव प्रक्रिया, आवृत्ति, कार्यकाल, भूमिका तथा उत्तरदायित्व और उनकी कार्यपद्धति के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएंगी। राज्य एसएमसी प्रशिक्षण हेतु आबंटन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल विकास योजनाओं (एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कूलों को उनके अनुदान समय पर प्राप्त हों। एसडीपी को जिला स्तर पर बजट एवं योजना प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।

5. साक्ष्य दर्शातें हैं कि कुछ स्कूल मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक के नेतृत्व के कारण अन्य स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अध्यापन में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों में से योग्यता और अभिक्षमता के आधार पर चयनित मुख्यध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का एक अलग कैडर बनाया जाएगा और मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों के मौजूदा रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

6. संवर्धित स्कूल अभिशासन को स्कूल प्रतिनिधित्व की परिभाषा और अधिक समग्र फ्रेमवर्क तक विस्तार करने की आवश्यकता है जिसमें स्कूल लीडर की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना, स्कूल लीडर का क्षमता

फ्रेमवर्क स्पष्ट करना, मुख्याध्यापकों/प्रधानध्यापकों के चयन की सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करना तथा स्कूल लीडरों के लिए भर्ती कार्यक्रम और कैरियर विकास के लिए सुपरिभाषित मार्ग के साथ सतत व्यावसायिक विकास हेतु अवसर प्रदान करना शामिल है।

7. स्कूलों के शैक्षिक प्रदर्शन और उसमें सुधार के लिए मुख्याध्यापक/प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।

4.14 उच्चतर शिक्षा में अभिशासन संबंधी सुधार

हाल के वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय विविधता के साथ अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। क्षेत्र के अनियोजित विस्तार ने गुणवत्ता में वृद्धि करने और उसे बनाए रखने के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। उच्च शिक्षा में अभिशासन एवं विनियम के मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। अतः, मौजूदा सांविधिक स्थिति को उप-क्षेत्र में अभिशासन और विनियामक मामलों से संबंधित किसी भी दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा का प्रभावी अभिशासन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी।

1. श्विक स्तर पर शिक्षा ज्ञान, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन सुधार के साथ-साथ नए न क्षेत्रों/विषयों/अधिकार क्षेत्रों की पहचान करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों में शैक्षिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा, जो वैश्विक परिदृश्य और राष्ट्रीय महत्वकांक्षा में बदलाव के साथ चलने में सहायता करेगा।

2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सरकारी निकायों को बहु हितधारक बनया जायेगा जिसमें उद्योग और भूतपूर्व छात्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिसमें ऐसे निकायों की सरंचना और चयन के लिए स्पष्ट पारदर्शी दिशनिर्देश होंगे।

3. अवर स्नातक और स्नातकोत्तर देनों स्तर पर संकाय समवर्ती शिक्षण के साथ अवर स्नातक स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अध्ययन को एकीकृत करके एक विश्वविद्यालय प्रणाली की दिशा के बढ़ने का प्रयास किया जायेगा जो शिक्षण और शोध के बीच

सहक्रियाओं को सुधारने में सहायता करेगा। विश्वविद्यालय एकल विषय विशिष्ट नहीं होंगी बल्कि प्रकृति में बहु विषयी होंगे।

4. राज्य भारतीय शिक्षा सेवा (आईईएस) के गठन के लिए 1968 और 1986192 की पूर्व नीतियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा जिसे यहां भी दोहराया गया है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ आईईएस अखिल भारतीय सेवा होगी। आईईएस के अस्तित्व में आने तक विभिन्न राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा अकादमिक और प्रशासनिक पदों में से संघ लोक सेवा आयोग (यूवीएससी) द्वारा एक बार की विशेष भर्ती का अंतरिम कदम उठाया जायेगा।

5. सरकार के साथ-साथ निजी स्कूलों/संस्थानों के विरुद्ध मुकदमे सुलझाने और लोक शिकायतों का समाधान करने के लिए केन्द्र और राज्यों में पृथक शिक्षा अधिकरण स्थापित किये जायेंगे। इन निकायों की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की येगी। इन अधिकरणों को मामले के शीघ्र निपटान के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की शक्ति प्राप्त होगी।

6. सरकार लोकतंत्र के हित को आगे बढ़ाने लोकतंत्र प्रणालियों, शासन और प्रक्रियाओं के साथ ही वाद-विवाद चर्चा और विचारों के बहुलबाद को सशक्त करने में छात्र संघों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को मान्यता देती है और उन्हे प्रोत्साहित करेगी। तथापि, वह देखा गया है कि परिसर में हानिकारक गतिविधियां और असांमजस्य बाहरी लोगों और उन छात्रों के द्वारा पैदा किया जाता है जो अनेक वर्षों से वहां दाखिल हैं बजाय इसके कि जिस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए उन्होंने दाखिला लिया है। बाहरी लोगों और उन सभी को जो छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हैं और अकादमिक गतिविधियों को हानि पहुंचाने के कारण संस्था के छात्र के रूप में रोका गया है, एसे छात्रों को रोकने के लिए इसके साथ ही उन्हें छात्रावास में ठहरने और संस्था की सुविधाओं का दुरूपयोग करने से रोकने के लिए एक अध्ययन संचालित किया जायेगा।

7. सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में एक कारगर शिकायत निवारण प्रणाली तंत्र स्थापति किया जाएगा और किसी भी छात्र, संकाय या संगठन के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई से पहले नैसर्गिक न्याय - जिसमें आपराधिक मनोस्थिति और दूसरे पक्ष को सुनना शामिल है, के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

8. मौजूदा संबद्ध प्रणाली जारी रहेगी लेकिन संबद्ध कॉलेजों की संस्था के संबंध में अधिकतम सीमा 100 होगी। इसकी सीमा के अंतर्गत 100 से अधिक संबद्ध कॉलेज वाले विश्वविद्यालयों को तद्नुसार पुन: गठित किया जायेगा।

9. सार्वजनिक वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन के साथ मानक आधारित वित्त पोषण की शुरूआत की जायेगी। सभी सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान विशिष्ट लक्ष्यों और निर्धारित समय में संदर्श योजनाओं को तैयार करेंगे जिससे कि वित्तीय और प्रशासनिक दायित्व के साथ स्वायत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

4.15 **उच्च शिक्षा में विनियम**

प्रणाली में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों का इनके गठन के समय यथा परिकल्पित विशिष्ट जनादेश के साथ विभिन्न समयों में स्थापित किया गया था। समय बीतने के साथ और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ, नियामक ढांचे की समीक्षा करने और इसे उच्च शिक्षा प्रणाली के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के साथ अधिक प्रासंगिक बनाये जाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में नियामक व्यवस्था से संबंधित अनेक चुनौतियों से सावधनीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है। स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना आवश्यक है। राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय भी अपने अधिकार-क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों का विनियमन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगीः

1. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जायेगी।

2. केन्द्रीय शैक्षिक सांख्यिकी एजेंसी (सीईएसए) उच्च गुणवत्ता सांख्यीकीय विशेषज्ञता और प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ केन्द्रीय डाटा संग्रहण, संकलन और समेकन एसेंसी के रूप में स्थापित की जायेगी जिसका उपयोग भावी विश्लेषण मानवशक्ति योजना और भविष्य पाठ्यक्रम सुधारों के लिए किया जायेगा। सीईएसए उपलब्ध अवसंरचना नये निर्माण और उन्नयन जैसे विभिन्न पेरामीटरों पर एचईआई के जियो-टैंगिंग के साधन विकसित करेगा।

3. राज्य उच्च शिक्षा परिषद अनुमोदित मान्यता प्राप्त एजेंसियों के परामर्श से विश्व विश्वविद्यालय और कालेज के शैक्षिक मानकों की आवधिक रूप से निगरानी करने के लिये अधिदेशित किया जायेगा।

4. प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की एक समर्पित वेबसाईट होगी जो प्रवेश शुल्क, संकाय, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, प्लेसमेंट, शासन, वित्त बिजनेस टाई-अप, प्रबंधन और अकादिमक के संबंध में रिपोर्ट एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों, साथ ही साथ संस्थान से संबंधित अन्य प्रसंगिक सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से दर्शाएगी।

4.16 **उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन**

विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा अनेक समस्याओं का सामना किया जाता है जिसमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधओं, संकाय पदों की बड़ी संख्या में रिक्तयों संकाय की खराब गुणवत्ता, पुरानी शिक्षण पद्धति, गिरते हुए शोध मानक, आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, व्यापक भौगोलिक जेंडर और सेक्टर के तहत सामाजिक असंतुलन की समस्याएं हैं। ये समस्याएं उच्च शिक्षा की खराब गुणवत्ता का भी प्रतिबिंब हैं। गुणवत्ता आश्वासन के भाग के रूप में, अब संस्थानों को एनएएसी और एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

यह विचार करने का विषय है कि बहुत थोड़े ही संस्थानों को विश्वविद्यालयों की ग्लोबन रैंकिंग में स्थान मिल पाता है। विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैकिंग शोध और शिक्षण के क्षेत्र में संस्थागत निष्पादन के मूल्यांकन, संकाय सदस्यों की प्रतिष्ठा नियोक्ताओं के बीच प्रतिष्ठा, संसाधन उपलब्ध्ता अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों की भागीदारी और गतिविधियां आदि पर आधारित होती हैं। हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कवर करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की शुरूआत की है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता की प्रणाली का अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञता समिति का गटन किया जाएगा। यह अच्छे निष्पादन प्रणाली वाले देशों द्वारा सर्वोत्तम कार्यों के अनुभवों को ग्रहण करेगा और एनएएसी और एनएबी के पुनः गठन के सुझाव के साथ-साथ पद्धतियों पैरामीटर और मानदंडों को पुनः परिभाषित करेगा।

2. प्रत्येक संस्थान के मूल्यांकन/प्रत्यायन ब्यौरे को समर्पित वेबसाइट के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिससे विधार्थियों और अन्य-हितधारकों को सूचित चयन प्रक्रियाओं में समर्थ बनाया जा सके।

4.17 **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एवं एमओओसी**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) को वर्धित बढ़त, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, रोजगार क्षमता और जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है और स्वीकार किया गया है। इसने ओडीएल के तहत 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नामांकित कर भारत में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक और निजी संस्थानों दोनों द्वारा प्रदान किए जा रहे दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान कराने के अनेक प्रकार हैं। ये उन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान कराते हैं जो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते या किसी अन्य कारण से नियमित रूप से कक्षा में उपस्तित नहीं हो सकते। वर्तमान में देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मुख्यतः, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मुक्त स्कूलिंग संस्थान (एनआईओएस) द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता के मामले हैं जो ओडीएल प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) सापेक्ष रूप से कम लागत में आधुनिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध कराता है। विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों मुक्त अध्ययन मंच को स्थापित करके अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। ज्ञान के निरन्तर अद्यतन के लिए बढ़ती हुई आकांक्षा और आवश्यकताओं हेतु भविष्य में व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की मांग बढ़ेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युवा आंकाक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय अध्ययन का वेब अध्ययन (एसडब्ल्यूएवायएएम) प्रारंभ किया है, यह एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां विभिन्न विषयों पर व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) उपलब्ध होगा। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के मानकों को प्रोत्साहित, संयोजित, विनियमित, अनुरक्षित करने और क्रेडिट की पहचान, अंतरण और संचयन हेतु तंत्र विकसित करने के लिए एक निकाय की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

निम्नलिखित नीतिगत पहलें की जाएंगी:

1. एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया जाएगा जो ओडीएल/एमओओसी प्रणाली में मानकों के प्रोन्नयन, समन्वय, विनियम और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हो। यह ओडीएल/एमओओसी के व्यवस्थित विकास और विनियम के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार करेगा। यह एमओओसी के माध्यम से अर्जित क्रेडिटों मान्यता, अंतरण और संचय और डिग्रियां देने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए तंत्र भी तैयार करेगा।

2. ओडीएल/एमओओसी मोड में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं का पैरा-1 में संदर्भित स्वायत्त निकाय द्वारा निर्धारित मानदंतडों और मानकों के अनुसार राष्ट्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का विकास एवं उनका मानवीकरण किया जाएगा।

3. गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ओडीएल/एमओओसी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का संवर्द्धन, नवाचार और नया आकार देने तथा आधुनिक बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रत्यायन हेतु एक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र बनाया जाएगा।

4. सभी ओडीएल संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षु सहायता सेवाओं को स्थापित किया जाएगा और मेजवान इसमें पाठ्यक्रम होस्टिंग, रिपाजिटरीज़, मुक्त शैक्षिक संसाधन (ओईआर), एमओओसी, 24x7 सहायता डेस्क सेवाएं, ट्यूटरिंग और काउंसलिंग सेवाएं, वेबीनार्स का आयोजन चर्चा मंच, वेबकास्टिंग, पुस्तकालय सुविधा, वास्तविक प्रयोगशालाएं, ई-लर्निंग माड्यूल्स, आनलाईन कार्यक्रमों का संवितरण, कार्य सौंपना और कार्य-निष्पादन का समय पर फीडबैक, आनलाईन परीक्षाएं, परिणामों की घोषणा, शिकायतों का समाधान इत्यादि शामिल होंगी।

5. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से साथ राष्ट्रीय मुक्त स्कूलिंग संस्थान (एनआईओएस) व्यावसायिक शिक्षा की संभावित बड़ी मांग का समाधान करने के लिए स्वयं को पुनः परिभाषित करेगा। इसमें प्रबंधन, मॉनीटरिंग और एनआईओएस को नजरअंदाज करने के मामले का समुचित रूप से समाधान किया जाएगा।

4.18 **शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण**

अन्तर्राष्ट्रीयकरण वैश्वीकरण के इस युग में उच्चतर शिक्षा और नए ज्ञान के सृजन व उसके प्रयोग अपरिहार्य आयाम हैं। अन्तर्राष्ट्रीयकरण में छात्रों, विद्वानों और संकाय की गतिशीलता, अकादमिक प्रणालियों और संस्कृतियों का लेन-देन, अनुसंधान सहयोग, ज्ञान अंतरण और क्षमता निर्माण, पाठ्यचर्या और अधिगम परिणामों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, तथा सीमा पार कार्यक्रमों का संवितरण समाविष्ट हैं और इसमें वास्तविक गतिशिलता और डिजिटल अधिगम शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण अनेक अवसर प्रदान करता है जैसे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुस्पष्टता और प्रोफाइल में वृद्धि करना, उच्चतर शिक्षा की बढ़ीहुई आपूर्ति, छात्रों के लिए अधिक पहुंच, ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए सहायता, दोहरी डिग्रियों का विकास तथा नए अकादमिक वातावरण की विभिन्नता और उत्पत्ति।

निम्नलिखित नीति पहलें की जाएंगी:

1. विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में चयनित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत में उनकी उपस्थिति को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि अपेक्षित हो तो, एक सक्षम विधान को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। नियम/विनयम तैयार किए जाएंगे ताकि विदेशी विश्वविद्यालय के लिए यह संभव हो सके कि वह भारत में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को अपनी ऐसी डिग्री प्रदान कर सकें, जो मूल देश में भी वैध हो।

2. चूंकि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक द्वि-मार्गी प्रक्रिया है। भारतीय संस्थाओं को भी, यदि अपेक्षित हो तो संगत अधिनियम/संविधियों सुचित विधायन/संशोधन के माध्यम से विदेश में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
3. भारतीय विद्यार्थियों की स्वीकार्यता में वृद्धि करने और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इसे वैश्विक रूप से विश्व की उत्कृष्ट रैंक के अनुरूप बनाया जा सके। चूंकि कई अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्कृतिक और भारत-संबद्ध अध्ययनों के लिए

भारत में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

4. उच्च शैक्षिक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए भाषा और ब्रिज-पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे ताकि भाषा की कमी और/अथवा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अधिक ऊंचे स्तर के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके।
5. भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं में शामिल होने के लिए और अधिक विदेशी संकायों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में शामिल होने के लिए विदेशी संकाय को अनुमति देने के मानक और विनियम। विदेशी विद्यार्थियों/संकाय द्वारा वीसा, रहने का पंजीकरण/इसे बढ़ाने और कर नियम और विनियमों से संबंधित सामना की जा रही वास्तविक चिंताओं और कठिनाई का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाएगा।

6. सरकारी वित्त-पोषित उच्च शैक्षिक संस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आबंटित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण को घटकों में से एक घटक के रूप में शामिल किया जाएगा।

7. सरकार उन देशों के साथ संवाद शुरू करेगी जिन्होंने उच्च शैक्षिक संस्थाओं के अनुमोदन/मान्यता/प्रत्यायन/गुणवत्ता आश्वासन और अध्ययन कार्यक्रम की एक कठोर, सुदृढ़ और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित की है। ऐसे देशों, का समूह गठित करने का एक प्रयास किया जाएगा, जो इस समूह के सदस्य राज्यों में प्रत्यायित उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सभी अर्हताओं को अपने संबंधित देशों में मान्यता प्रदान करेगा।

8. धीरे-धीरे अर्हता के वर्ष-आधारित मान्यता से क्रेडिट-आधारित मान्यता की ओर अग्रसर होने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

4.19 **उच्च शिक्षा में संकाय विकास**

उच्चतर शिक्षा पद्धति के विस्तार की तीव्र गति के साथ ही शिक्षण और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट प्रतिभावान छात्र शिक्षण व्यवसाय में शामिल हो, गुणवत्तापरक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षण में उनके प्रवेश से पूर्व और सतत् व्यावसायिक विकास के लिए अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय का

कुशल प्रबंधन मुख्यतया वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की व्यावसायिक सक्षमता और प्रबंधी कौशलों पर निर्भर करता है। कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली ऐसी समस्याओं से घिरी हुई है जो उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के निर्बाध संचालन को प्रभावित करती हुई प्रतीत होती है। शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व और विश्वसनीयता की विशेषताओं वाले व्यावसायिकों की आवश्यकता है ताकि जटिल प्रबंध मामलों का समाधान किया जा सके।

निम्नलिखित नीति पहलें की जाएंगीः

1. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वार अनुसरण की जा रही भर्ती पदोन्नति और रिटेन्शन प्रक्रिया-विधियों का अध्ययन करने के लिए और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में बौद्धिक और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञों का एक कार्य दल गठित किया जाएगा।

2. युवा प्रतिभा को शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा। शिक्षा व्यवसाय के प्रति युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए शोध विद्यार्थियों जैसे कि एम.फिल और पी.एचडी. छात्रों के लिए रोजगार के विकास की स्थापना की जाएगी और उन्हें शैक्षिक सहायकों और शैक्षिक एसोसिएट के रूप में नामित किया जाएगा।

3. नए भर्ती संकाय के लिए 3-6 मास का प्रवेश कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित की जाएगी। नए भर्ती हुए संकाय के लिए यह अनिवार्य होगा कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण पदों पर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह शिक्षण में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। प्रवेश कार्यक्र में शिक्षण और शोध प्रक्रिया विधियों (फ्लिप कक्षा सहयोग, सहयोगात्मक अध्ययन, मामले से संबंधित दृष्टिकोण), आईसीटी का उपयोग, पाठ्यचर्या ढांचा और डिजायन, महिला-पुरूष सुग्राहीकरण, और सामाजिक विविधता, व्यावसायिक नीति, उत्कृष्ट पद्धतियों को शेयर करना और अपने अध्ययन क्षेत्र में विकास का अद्यतन, इत्यादि शामिल हैं। प्रवेश प्रशिक्षण के पश्चात् विद्यार्थी को उसके विश्वविद्यालय में 4-6 सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम प्रदान किया जाता है ताकि संस्थान की संस्कृति, अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों इत्यादि को समझने में उसकी सहायता की जा सके।

4. प्रौद्योगिकीय विकास, ज्ञान के नए आयामों, और बदलते हुए शिक्षु प्रोफाइल के आलोक में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में शिक्षुओं और अध्यापकों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाएगा ताकि स्व-शिक्षण, प्रयोगात्मक और सहयोग शिक्षक घटकों के साथ शिक्षा-शास्त्र के एक मिश्रित मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे आकलन और जांच में भी सुधार अपेक्षित होगी।

5. पीर (समकक्ष) समीक्षा सहित संकाय के शैक्षिक निष्पादन के आकलन के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यह सार्वजनिक-वित्त-पोषित संस्थाओं की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके।

6. समुचित चयन और भर्ती नीतियों सहित एक समुचित तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि अध्यापन (और यथा विलोमतः) पार्श्विक प्रवेश और निर्गम की अनुमति देकर और एक सहायक संकाय के रूप में काम करने के लिए अन्यत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति (सेकेंडमेंट)/प्रतिनियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग और सरकार, से विशेषज्ञों की निर्बाध गतिशीलता को सुनिशिचित किया जा सके।

7. ख्याति प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अग्रणी विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए उत्साहित किया जाएगा ताकि वरिष्ठ संकाय और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन के लिए अल्पकालिक कार्यक्रमों का संचालन हो सके जिसे उच्च स्तर के नेतृत्व पदों के चयन और नियुक्ति के लिए अनिवार्य बनाया जाए। इन नेतृत्व कार्यक्रमों में निर्णय लेने के माड्यूल्स, संवेदनशीलता माड्यूल्स, वित्तीय प्रक्रियाएं और पद्धतियां, अकादमिक प्रबंधन, वित्तीय और मानव संसाधन, विवाद से निपटने, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि शामिल होंगे जिससे प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशलों में सुधार हो सके।

4.20 **अनुसंधान नवाचार और नया ज्ञान**

यद्यपि विगत दशम में विश्व में भारत के शोध प्रकाशनों के समग्र भाग में वृधि हुई है, शोध की गुणवत्ता ने महत्वपूर्ण छाप नहीं छोड़ी है। उत्कृष्टता के कुछे क्षेत्रों के अतिरिक्त तंत्र सामान्य सा बना हुआ है। शोध में रूचि लेने वाले छात्र और संकाय विदेश जाने को प्राथमिकता देते हैं क्योकि वे हमारी संस्थाओं में अनुसंधान के वातावरण को

अनुकूल नहीं पाते। उच्च कोटि के अनुसंधान के लिए देश में अनुकूल वातावरण सृजित करने की आवश्यकता है। देश को अनुसंधान और नवाचार के लिए उच्चतर शिक्षा की अनुपूरकता में प्रशासनिक और शैक्षिक वातावरण का सृजन करके समर्थकारी परिस्थित विकसित करने की आवश्यकता है। भारत के उभरती हुई नम्र शक्ति के संदर्भ में ज्ञान युक्त समाज के लिए अपेक्षित अधिगम के नए क्षेत्रों के सृजन का संवर्द्धन करने की जरूरत है।

निम्नलिखित नीति संबंधी पहलें की जाएंगीः

1. अगले दशक तक उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सार्वजनिक और निजीक्षेत्र में कम-से-कम 100 नए केन्द्र/विभाग स्थापित किए जाएंगे ताकि अनुसंधान में उत्कृष्टता मिले। निजी न्यासों, समाजसेवी और प्रतिष्ठानों को उत्कृष्टता के ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासनिक विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) की अनुसंधान कार्यसूची का स्पष्ट पुनर्विचार करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा ताकि सतह पर वास्तविक मुद्दे प्रदर्शित हो सकें।

3. नए ज्ञान के सृजन का संवर्द्धन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और भारत की नम्र शक्ति के रूप में स्थिति को समेकित और सुदृढ़ करने के लिए उच्चतर शिक्षा की पाठ्यचर्या उन्हें इन नए क्षेत्रों में प्रारंभ व लागू किया जाएगा।

4. नवाचार, सृजनता और उद्यमीयता का संवर्द्धन करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अगले पांच वर्षों में और 100 उदभवन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

5. अन्तः विषययी अनुसंधान और अध्ययनों पर विशेष फोकस करते हुए नए ज्ञान को धारणीय बनाए रखने के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों का विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय योगदान और नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.21 **शिक्षा का वित्तपोषण**

भारतीय संदर्भ में शिक्षा को सार्वजनिक कल्याण के रूप में माना जाना चाहिए और इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की और अधिक आवश्यकता है। यह दिखाने के साक्ष्य हैं कि जिन देशों ने शिक्षा प्रणाली का अधिक निजीकरण किया है वे आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उन्नति नहीं कर पाए हैं और इसलिए इससे मूल्यों की हानि हुई है न कि लाभ हुआ है। दूसरी और जो देश शिक्षा को जन-कल्याणमानते हैं उन्होंने चिरस्थायी आधार पर अधिक सामाजिक लाभ अर्जित किए हैं। सन् 1968 और 1986/92 की पूर्व राष्ट्रीय नीतियों में मानदंड के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के 6% के राष्ट्रीय परिव्यय की सिफारिश की गई थी। तथापि इस स्तर पर शिक्षा पर वास्तविक व्यय लगातार कम रहा है और हाल ही के वर्षों में यह 3.5% तक बना हुआ है। इस कारण से शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन को वांछित लक्ष्य तक बढ़ाने हेतु फोकस करने की आवश्यक्ता है।

निम्नलिखित नीति संबंधी पहलें की जाएंगीः

1. सरकार शिक्षा क्षेत्र में निवेश को जीडीपी के कम-से-कम 6% तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाएगी।

2. सरकारी प्रयासों के पूरा करने के लिए शिक्षा में निवेश के लिए लोकोपकारी और निगमित क्षेत्र के माध्यम से निजी प्रदाताओं के उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र को शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाएगी जैसे कर लाभ और अवसंरचना की परिभाषा के अंदर शिक्षा को शामिल करना। सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए सार्वजनिक विधियन जारी रहेगा जबकि अन्य कार्य निजी विधियन के माध्यम से किए जाएंगे। आवश्यक कार्यनीति के रूप में वित्तीय संसाधनों की गतिशीलता के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) एवं शिक्षा संस्थाओं में अन्य गुणवत्ता बढ़ाने वाले कार्यकलापों हेतु निजी विधियन और एफडीआई का सहारा लिया जाएगा।

3. नई संस्थाओं की स्थापना करने के बजाए जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है, सरकार की प्राथमिकता मौजूदा संस्थाओं की क्षमता के विस्तार करने पर होगी।

4. सरकारों द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अन्य स्रोतों जैसेकि अलूमिनी विधियन, इंडोमेंट विधियन, लाभवंचित वर्गों के लिए शुल्क माफ करने के साथ ही शुल्क में बढ़ोत्तरी करने और निजी निवेश के माध्यम से उन्हें अपने राजस्व में वृद्धि करने के तरीकों को तलाशने की आवश्यक्ता है।

5. आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों के लिए वर्तमान शिक्षा ऋण योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए वर्तमान एक वर्ष से दो वर्षो/रोलिंग ऋणस्थगन अवधि से अनुप्रासंगिक, कम ब्याज दर और ऊंची ऋणस्थगन अवधि में छूट को सुविधाजनक बना कर योजना को संशोधित किया जाएगा।

6. उत्कृष्टता और कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की निधिबद्धता को कार्य निष्पादन से जोड़ने की योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

अध्याय-5

कार्यान्वयन और निगरानी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 में कई नए दिशानिर्देश चार्टर किए गए हैं और ये 1968 1986/92 की प्रारंभिक शिक्षा नीतियों में निरंतर रहें हैं। यह ध्यान देना अनिवार्य है कि अभिप्रेत लक्ष्यों और कार्रवाई योग्य कार्यनीतियों को ऐसी वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए जो शिक्षा के परिदृश्य के रूपान्तरण में समर्थ हों, केन्द्र और राज्यों को सहयोगी संघवाद की भावना से एक साथ मिलकर कार्य करना है।

शिक्षा के क्षेत्र में कई हितधारक शामिल हैं और इनमें से प्रत्येक का महत्वपूर्ण योगदान है, जो पंहुच बढ़ा कर, समानता को सुनिश्चित करके, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और हमारे छात्रों को सही मायने में वैश्विक नागरिक बनने और उन्हें गत्यातमक ज्ञानसमाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक समुचित ज्ञान, कौशलों और अभिवृत्तियों से सम्पन्न करने के सराहनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने सहायक देतें हैं।

इस नीति के पश्चात् एक विस्तृत कार्यान्वयन कार्यनीति जारी की जाएगी जो उन निदेशों के लिए जो पूर्ववर्ती खंड में स्पष्ट किए गए हैं, में से प्रत्येक निदेश के लिए कार्रवाई कार्यढ़ाचा (एफएफए) निर्धारित करेगी। यह उल्लेखनीय है कि नीति में जो व्यक्त किया गया है, वह दृढ़ या कठोर नहीं बल्कि वांछित निदेशों का प्रक्षेपण मात्र है। विविध आकांक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से कुछ सीमा तक परिवर्तन की आशा की जाती है जिससे इसको संदर्भ और उभरते परिदृश्यों के अनुकूल बनाया जा सके, इसमें असफल रहने पर कार्यान्वयन का कार्य या तो कठिन या अव्यवहारिक हो जाएगा।

यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया तंत्र स्थापित न किए जाने के कारण विगत नीति विषयक सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र एक ऐसा कार्रवाई कार्यढ़ाचा (एफएफए) तैयार करता है, जो उसकी क्षेत्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ चलने वाला है, तो यह वांछित और समुचित है। इसके पश्चात् संस्थागत व्यवस्थाएं करना, परिमापन योग्य लक्ष्यों और वांछित मात्रात्मक परिणाम प्राप्त

करने के लिए स्पष्ट कार्य निष्पादक संकेतकों सहित प्रशासनिक प्रक्रियाएं निर्धारित करना संभव हो सकेगा।

लोकतंत्रीय विकेन्द्रकरण और व्यापक सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि अपना कार्रवाई फ्रेमवर्क तैयार करने की संचलनात्मक कार्यनीतियों को स्पष्ट करने वाली यह प्रक्रिया प्रत्येक जिले, ब्लाक में अधोमुखी होकर जमीनी स्तरों तक फैल जाएगी।

इसी प्रकार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान लघु-स्तर पर प्रचालन संबंधी कार्य योजना तैयार करेगा।

वित्तीय संसाधन, सदैव ऐसी चुनौती रहे हैं, जो परिणामों में कुशलता और संपूर्ण सरकारी मशीनरी को सीमित करते हैं, निजी क्षेत्र और अन्य गैर-सरकारी एजेंसियां और सारा देश शिक्षा के लिए संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करने की राष्ट्रीय जिम्मेदारी में सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए लागत प्रभावशीलता और जिम्मेदारी शिक्षा प्रणाली के कार्यकरण का मार्गदर्शन करेंगी।

कार्यान्वयन फ्रेमवर्क तैयार करते समय, शिक्षा और बच्चे की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता और जल संसाधनों आदि जैसी अन्य संबंधित सेवाओं के मध्य संपर्कों को उचित स्थान प्रदान किया जाएगा, जिससे परिणामों को प्राप्त करने में सार्वजनिकता सुनिश्चत की जा सके। संबंधित विभिन्न एजेंसियों और कार्यकर्ताओं के मध्य और शिक्षा तथा अन्य विभागों के मध्य भी अधिकाधिक समन्यय करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। तद्नुसार, समुचित समन्वय प्रक्रिया तंत्र तैयार किया जाएगा।

पिछले अनुभवों से सीखना, समुचित निगरानी के तरीके, प्रक्रियातंत्र और प्रणालियां तैयार करना प्रत्येक क्रियाशील इकाई का प्रयास होगा, जिससे प्रत्येक कार्रवाई योग्य बिंदु के परिणामों और उत्पादों को प्राप्त करने में हुई गई प्रगति का आवधिक निर्धारण और मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया जा सके। निगरानी का कार्य राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के लघु स्तर से वृहदस्तर तक किया जाएगा। इससे सक्षम और पद्धतिबद्ध एक ऐसी प्रक्रिया प्राप्त होगी जिससे मध्यावधि संशोधन, अधिकतम परिणामों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीतियों में संशोधन संभव हो सकेगा। यह किसी ऐसे परंपरागत ब्रेक डाउन को भी ठीक करेगा जो इस नीति में उच्चारित विजन और समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहते हैं।

उपर्युक्त में किसी अन्य बात के होते हुए भी, हमारे देश के आकार विविधता और विस्तार; परिणामी शैक्षिक उप-संरचनाएं जो संचालन में हैं; और ज्ञान तथा सूचना आधारित समाज की परिवर्तनशील प्रकृति को देखते हुए कई चुनौतियां निरंतर सामने आएंगी जो समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता को अनिवार्य बनाती हैं। इसलिए उभरती राष्ट्रीय और वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य रखने के लिए नीति की पंचवर्षीय आवधिक समीक्षा की जाएगी।

*****